कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

सुश्री उमा भारती की भाजपा में वापसी

अध्यक्षीय भाषण..... 7

भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव..... 16

संघीय व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव..... 21

उत्तर प्रदेश पर केन्द्रित प्रस्ताव..... 25

अन्य

बाबा रामदेव के नेतृत्व में जनांदोलन..... 28

भाजपा का सत्याग्रह..... 30

अटलजी की कविता

अब तक जिस जग ने पग चूमे
आज उसी के सम्मुख नत क्यों?
गौरव–मणि खो कर भी मेरे
सर्पराज आलस में रत क्यों?
गत गौरव का स्वाभिमान ले
वर्तमान की ओर निहारो,
जो जूठा खाकर पनपा है
उसके सम्मुख कर न पसारो।
हम अपने को ही पहचानें,
आत्मशक्ति का निश्चय ठानें,
पड़े हुए जूठे शिकार को
सिंह नहीं जाते हैं खाने।
एक हाथ में सृजन,
दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं,
सभी कीर्ति ज्वाला में जलते,
हम अंधियारे में जलते हैं।
आंखों में वैभव के सपने,
पग में तूफानों की गति हो,
राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता,
आए जिस–जिस में हिम्मत हो।

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

भूल सुधार

कमल संदेश मई 16–31, 2011 में आगरा में आयोजित महासंग्राम रैली के निमित प्रकाशित समाचार के अन्तिम पैरा में सम्पादन त्रुटि रह गई है। इसे निम्न प्रकार पढ़ें– "बसपा के शासन काल में ही दलितों को सबसे अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।"

सम्पादकीय

यूपीए संवैधानिक नैतिकता खो चुकी है

देश बाबा रामदेव का अपराध जानना चाहता है। और अगर वो अपराधी नहीं है तो 4 जून और 5 जून की रात्रि को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ क्या उसे संवैधानिक सरकार द्वारा किया जाने वाला कृत्य कहा जा सकता है? कदापि नहीं! हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि यह एक आतंकी सरकार की ही हरकत हो सकती है। क्या किसी सरकार को आतंकी होना चाहिए? क्या इस देश में कांग्रेस–नीत यूपीए की सरकार का संविधान पर से विश्वास उठ गया है? क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? क्या आने वाले दिन में कांग्रेस भारत में धरना–प्रदर्शन, सत्याग्रह नहीं करेगी? क्या कांग्रेस कालेधन को भारत में वापस नहीं लाना चाहती तथा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार भी नहीं मिटाना चाहती है? आखिर किस बात की सजा बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को दी गई है। यह कितना बड़ा मजाक है कि जब बाबा रामदेव मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में आते हैं तो वहां केन्द्र सरकार के काबिना मंत्री उनके पैरों में कुमकुम और चंदन लगाते हैं। और दूसरी ओर उसी पार्टी का महासचिव जो मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं, लगातार बाबा के खिलाफ अपशब्दों का अंबार लगा रहे हैं। क्या कमलनाथ और दिग्विजय के द्वारा ऐसे आचरण को साजिशपूर्ण कहना उचित नहीं होगा? संपूर्ण देश एक स्वर से कह रहा है कि 4 और 5 जून की रात्रि को जो कुछ भी रामलीला मैदान में घटा वह किसी निर्वाचित सरकार के द्वारा नहीं हो सकता था। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि डॉ. मनमोहन सिंह इटालियन माफिया के गिरोह में फंस चुके हैं। अब सच तो वही जानते होंगे।

देश आक्रोशित है। दुखी है। उसके अंतर्मन में सहज ही इस बात की पीड़ा हो रही है कि आखिर इस योग पुरूष और उसके समर्थकों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या इस देश में योग के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना कोई अपराध है? क्या इस देश में धन्वंतरि के माध्यम से औषधि बनाकर देशवासियों को उपलब्ध कराना गुनाह है या पाप है? जिस व्यक्ति के समक्ष अमेरिका के सीनेट सदस्य तक योग सीखने के लिए लालायित हों, उस व्यक्ति की भारत में दुर्दशा करना भारत की अध्यात्मिक मानसिकता की हत्या करना नहीं कही जा सकती? वर्तमान सरकार ने भारत की आध्यात्मिकता के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है उसे देशवासी कभी माफ नहीं करेंगे।

सवाल केवल बाबा रामदेव का नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारत में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं। देश संविधान से चलेगा कि दादागिरी से? कांचिकोटी पीठ के शंकराचार्य पर जयललिता ने जब अत्याचार किया था तथा उन्हें जेल में डालकर यातना दी थी, उस वक्त ईश्वरीय शक्ति का ही असर था कि वो सत्ता से हटा दी गई थी। इतिहास करवट ले रहा है। परिस्थितियां बदल रही हैं। कांग्रेस–नीत–यूपीए सरकार नियंत्रण खो चुकी है। वैसे भी यह सरकार केवल तकनीकी आधार पर चल रही है। क्योंकि संवैधानिक नैतिकता तो वह पहले ही खो चुकी है। यूपीए सरकार की कुर्सी भले ही नहीं गिर रही हो परन्तु यह सरकार भारत की जनता की नजरों में गिर चुकी है। देश को समय का इंतजार है।

कांग्रेस के लोग यह कहते हैं बाबा रामदेव के पीछे आरएसएस का हाथ है। क्या किसी के पीछे आरएसएस का हाथ हो तो यूपीए उसकी हत्या की साजिश करेगी, अलोकतांत्रिक कृत्य करेगी? सरकार आरएसएस की आड़ में अपनी चमड़ी बचाना चाहती है। हम यहां यह स्पष्ट कहते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी पर जूता दिखाया जाना निंदनीय है। परन्तु यह भी समझना होगा कि आखिर इस देश के एक युवक ने जूता क्यों उठाया? सूत्रों ने जो जानकारी दी है वह यह

है कि जनार्दन द्विवेदी और दिग्विजय सिंह के सोनिया दरबार में बराबर टकराहट होती रहती है। जूता चलवाने का काम स्वयं दिग्विजय सिंह ने किया है। क्योंकि कांग्रेस कभी दिग्विजय सिंह को अधिकृत तौर पर पत्रकार वार्ता नहीं करने देती है। और जब तक कांग्रेस में कोई पत्रकार वार्ता न करे तो उसकी हैसियत पार्टी में शून्य ही रहती है। जनार्दन द्विवेदी सोनिया गांधी के निकटतम रत्नों में से एक हैं। दिग्विजय सिंह भी हैं। परन्तु एक दूसरे पर कालिख पोतने की कांग्रेस संस्कृति का ही परिणाम था कि दिग्विजय सिंह ने एक षड्यंत्र के तहत जनार्दन द्विवेदी पर एक युवक को बहला फुसला कर जूता दिखाने का कृत्य किया।

देश के जो विपक्षी दल है; उन्हें राजनीति को नाटकीय संस्कृति से बचाना होगा, परिणामकारी राजनीतिक संघर्ष करना होगा। 'एक पैर जेल में तथा एक पैर रेल में, की राजनीतिक मानसिकता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष वही सफल होता है जो परिणाम लेकर आता है। भारत को एक महती लोकतांत्रिक संघर्ष की आवश्यकता है। अब देखना है कि इसका संवाहक कौन बनेगा? ■

'भाजपा ही मेरा किनारा और मेरी मंजिल'

पुनः भाजपा में शामिल हुई उमा भारती

गत 07 जून 2011 को सुश्री उमा भारती पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। छह साल पहले पार्टी से निष्कासित हुईं सुश्री भारती की उपस्थिति में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनकी वापसी की घोषणा करते हुए कहा कि ''उत्तर प्रदेश के पार्टी अभियान में उमा जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।'' उन्होंने कहा कि उमा जी की वापसी का निर्णय पार्टी के भीतर आम सहमति से किया गया है। ''उनके आने से भाजपा को उत्तर प्रदेश में नयी ऊर्जा मिलेगी।''

सुश्री उमा भारती भारती ने 'घर वापसी' पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि वह जहाज़ के ऐसी पक्षी की तरह महसूस कर रही हैं जो उस पर वापस आने के लिए उड़ान भरता है। उन्होंने कहा, ''पार्टी से पांच–छह साल बाहर रहने पर मैंने महसूस किया कि सिर्फ भाजपा ही मेरा किनारा और मेरी मंजिल है। इन छह सालों में मैंने सबसे बड़ा सबक यह सीखा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के लिए भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। भाजपा से पिछले पांच साल बाहर रहने की दिनों को मैं भुला देना चाहती हूं।'' श्री गडकरी ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में मायावती के 'गुंडाराज' और मुलायम सिंह के 'जंगलराज' की वापसी को रोकने के लिए भाजपा राज्य में उमा जी को महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में पेश करेगी।''श्री गडकरी ने कहा, ''उमाजी लखनऊ में स्थित होकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार एवं प्रभार का काम देखेंगी। उनकी वापसी से उत्तर प्रदेश में भाजपा को ताकत मिलेगी।'' एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उमा के देश के किसी हिस्से में जाने पर कोई रोक नहीं है लेकिन उनका ध्यान विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पर रहेगा क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं उनका गंगा अभियान भी चल रहा है।

वहीं सुश्री भारती ने कहा, ''भाजपा में 16 वर्षों तक रहने के बाद कुछ अप्रिय मुद्दों पर मैं पार्टी से अलग हुई। मैं भाजपा में प्रतिबद्धता को लेकर शामिल हुई और प्रतिबद्धता के कारण ही अलग हुई। लेकिन विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। पार्टी से अलग होने के बाद मैंने महसूस किया कि वैचारिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है।'' उन्होंने कहा कि अब उनके मन में भूतकाल की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश राम और रोटी तथा मंडल एवं कमंडल का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के पार्टी के प्रयास में अपना पूर्ण सहयोग देंगी। श्री गडकरी ने कहा कि उमा जी उत्तर प्रदेश में पवित्र गंगा अभियान चला रही हैं, इसके मद्देनजर उन्हें पार्टी के गंगा प्रकोष्ठ का संयोजक भी बनाया गया है। ■

संप्रग शासन में विकास की गति धीमी हुई : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 3 और 4 जून 2011 को लखनऊ में संपन्न हुई। सात सत्रों में संपन्न हुई इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात, किसानों के मुद्दे, आंतरिक सुरक्षा व संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री वेंकैया नायडू व श्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें संप्रग शासन में भ्रष्टाचार–महंगाई, संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश और उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार का कुशासन व लूट के खिलाफ प्रस्ताव शामिल है। बैठक में ओजस्वी अध्यक्षीय उद्घाटन भाषण देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने कार्यकर्ताओं का अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा और फिर 2014 में होने वाले संसदीय चुनाव के लिए पूरे उत्साह से जुट जाने का आह्वान किया। हम यहां उनके भाषण का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :–

आदरणीय आडवाणीजी, मंच पर पदासीन वरिष्ठ सहयोगियों,

प्रतिनिधि भाइयों और बहनों!

लखनऊ में गोमती तट पर हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। लखनऊ, लक्ष्मण का शहर है, जिन्होंने भ्रातृत्व के लिए एक आदर्श स्थापित किया। वे वाकई एक बेहतरीन अनुज थे। वे त्याग, प्रतिबद्धता और समर्पण के गुणों के सही प्रतिरूप थे। ये गुण किसी भी संगठन के आधारभूत गुण होते हैं। यह शहर कई विद्वानों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों, विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का शहर भी है।

लक्ष्मण, भगवान राम की असली शक्ति थे। अयोध्या से कुछ ही किलोमीटर दूर लखनऊ में हमें अवसर मिला है कि हम स्वयं को भगवान राम के आदर्शों के प्रति पुनःसमर्पित करें और सच्चे रामराज्य को लाने के लिए प्रयास करें। हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तर प्रदेश और समूचे भारत में रामराज्य की स्थापना के लिए स्वयं को फिर से प्रतिबद्ध करते हैं।

अटलजी की कर्मभूमि

लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाऊराव देवरस, नानाजी देशमुख और सुंदरसिंह भंडारी सहित अनेक कार्यकर्ताओं की भी कर्मभूमि रहा है। मैं इन सभी स्वर्गीय नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

लखनऊ में हम सब अपने महान नेता आदरणीय अटलजी की कमी महसूस कर रहे हैं। उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए हम उनके बताए रास्ते पर लगातार चलते रहने का संकल्प भी लेते हैं। वे सच्चे अर्थों में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें अजातशत्रु कहा जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका कभी भी कोई शत्रु नहीं रहा!

अटलजी की रचनात्मकता बहुआयामी रही है। हम मानते हैं कि उनके भाषण, कविताएँ और लेख हमारी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा हैं। उनकी इस विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी के लिए इसे सँजोने के इरादे से हमने अटलजी के कृतित्व के संकलन और संरक्षण की परियोजना, 'समग्र अटलजी' आरंभ करने का फैसला किया है। 8 जून को दिल्ली में एक भव्य समारोह में इस परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है और आप सभी को इस बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

सुशासन

अटलजी को हम सिर्फ लखनऊ में होने के कारण याद नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए अटलजी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैंने हमेशा माना है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और अंत्योदय हमारे कार्यात्मक दर्शन के चार स्तंभ हैं। अटलजी का जीवन और कार्य हमारी विचारधारा के इन सभी चार स्तंभों का प्रतीक है।

हमारे लिए सुशासन और रामराज्य एक–दूसरे के पर्याय हैं। इसी कारण से हमने यहाँ लगाई गई सुशासन प्रदर्शनी का नाम 'राम राज्य की ओर' रखा है। यह हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे भाजपा और राजग शासित राज्य समावेशी विकास के मोर्चे पर अच्छा काम कर रहे हैं। पर्यावरण से लेकर महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक के क्षेत्र में हमारी राज्य सरकारें नई ऊँचाइयों को छू रही हैं। हाल ही में हमने सभी भाजपाई मुख्यमंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से अधिक–से–अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया। हालाँकि हमने विकास के विभिन्न मापदंडों की स्थिति का भी जायजा लिया। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने वह सब कुछ कर लिया है, जो हम करना चाहते थे। हमें आगे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन हाँ, मुझे कहना होगा कि रोजगार सृजन, स्कूल में नामांकन और बालिकाओं को बचाने जैसे विकास के क्षेत्रों में भाजपा–राजग सरकारें दूसरों से बेहतर काम कर रही हैं। विकास की इस राह पर आगे बढ़ने में अनगिनत चुनौतियाँ हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्य करने वाले मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सफलता की कई कहानियाँ लिख सकते हैं। हमारा सुशासन का बेहतरीन रिकार्ड रहा है। हमारी धारणा है कि लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमारे संकल्प को मजबूत किया है।

कांग्रेस को हमेशा केंद्र सरकार की व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग करके राज्यों में हस्तक्षेप करने में विश्वास रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से पारित विधेयकों को लटकाए रखने, धन आवंटित करने, राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई के दुरूपयोग करने जैसे विपक्षी दलों, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करना तथा मानवीय सहायता और पुनर्वास जैसे मुद्दों में भी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना संघीय ढांचे पर यूपीए के हमलों के कुछ उदाहरण हैं।

भाइयों और बहनों, हाल ही में संपन्न मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उठाए गए एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मुद्दा यूपीए द्वारा देश के संघीय ढांचे पर लगातार किए जा रहे हमलों से जुड़ा हैं। गुजरात से लेकर सिक्किम और बिहार से लेकर तमिलनाडु जैसे राज्य भी यूपीए के संघीय ढांचे पर हमलों से पीड़ित हैं। कांग्रेस की नजरों में संघीय ढांचे के लिए कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस की प्रवृत्ति ही अधिकाधिक केंद्रीकरण की है। राज्यों में कांग्रेस पार्टी के हस्तक्षेप का इतिहास ही कई क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने का मूल कारण है। वास्तव में भारत का राजनीतिक नक्शा अब इस तथ्य का प्रमाण है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को समर्थन मिला है और वे सत्ता में आते रहे हैं। कांग्रेस को हमेशा केंद्र सरकार की व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग करके राज्यों में हस्तक्षेप करने में विश्वास रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से पारित विधेयकों को लटकाए रखने, धन आवंटित करने, राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई के दुरूपयोग करने जैसे विपक्षी दलों, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करना तथा मानवीय सहायता और पुनर्वास जैसे मुद्दों में भी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना संघीय ढांचे

पर यूपीए के हमलों के कुछ उदाहरण हैं। इस मुद्दे पर हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे, इसलिए मैं इस पर अभी विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा।

हाल के चुनाव

दोस्तों, मुझे पता है कि हाल ही में संपन्न चुनावों में हमारा प्रदर्शन हमारी उम्मीदों से भी कम रहा है। हमें निराशा हुई है और हम इन परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारी कुछ आंतरिक सीमाएँ थीं, लेकिन हमने ये चुनाव पूरी गंभीरता से लड़े। इन चुनावों के परिणाम सिर्फ इस बात के संकेत हैं कि हमें इन राज्यों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में हमारे वोट प्रतिशत में कुछ सुधार हुआ है और असम में हमने पिछला वोट प्रतिशत कायम रखा है। असम में नए क्षेत्रों में हमारे प्रदर्शन में सुधार हुआ, लेकिन हमारे परम्परागत प्रभाव वाले क्षेत्र में थोड़ी गिरावट आई। असम में कांग्रेस का जीत का कारण विभाजित विकल्प है। पुडुचेरी में हमें बहुत कुछ करना हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य प्रदेशों में हुए अनेक उप–चुनावों में हमें सफलता मिली है।

मित्रों, देश की इस स्थिति को देखते हुए हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। हाल ही में जिन पाँच राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनका मैं दौरा करने वाला हूँ। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इन चुनावों में मिले सबक के बारे में चर्चा करूँगा।

यूपीए-II के दो साल

यूपीए–2 का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। सरकार अपनी मध्यावधि सम्बन्धी समस्याओं से जूझ रही है। यह दिशाविहीन हो चुकी है। चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है और फैसले लेने की प्रक्रिया ठप्प है। यहां एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मंत्रिमण्डलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं मगर फैसलों की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं! उदाहरण के लिए, वे कैसे कह सकते हैं कि एंटरिक्स–देवास की उनको जानकारी नहीं है? यदि उन्हें नहीं पता तो किसे पता है? इस सरकार की भी अजीब कहानी है। प्रधानमंत्री पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका परफोरमेंस कुछ नहीं है, जबकि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बगैर जवाबदेही के सत्ता का उपयोग कर रही है।

1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। आज उनका पोता भी वही नारा दे रहे हैं। कांग्रेस या तो अपनी असफलता स्वीकार करे या यह माने कि वह दशकों से लोगों को बेवकूफ बनाती आ रही है। आज यूपीए ने 21 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों को अमीर घोषित कर दिया है! 21 रुपए में क्या मिलता है ? मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, कि वे बताये कि 21 रूपये में क्या मिलता है। मैं यूपीए के नेतृत्व को आगाह करता हूँ कि सिर्फ परिभाषा या मापदंड बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती।

यूपीए–2 की सरकार ऐसी सरकार मानी जाने लगी है, जिसका विकास से कोई लेना–देना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में विकास की गति बेहद धीमी हुई है। क्या यह सही नहीं है कि यूपीए के सरकार सँभालने के तुरंत बाद विकास की गति धीमी हो गई? यूपीए की सरकार विकास से संबंधित तमाम मुद्दों की अनदेखी क्यों कर रही है? राजग के शासन के दौरान हमने 11 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़कें बनाई थीं, लेकिन यूपीए के समय यह गति कम से कम आधी हो गई है। कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण विकास का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। विदेशी निवेशक अब हमारे देश की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने वर्ष 2010 में 29 अरब 36 करोड़ डॉलर का निवेश किया था, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 10 से 15 अरब डॉलर का ही निवेश हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 2011 में पूँजी प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में आधे से भी कम होने की उम्मीद है। यहाँ तक कि भारतीय उद्योगपति भी अपना कुछ कारोबार, यहाँ तक कि मुख्य कारोबार भी विदेशों में ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर व्यापार करना आसान है। बुनियादी ढाँचे के विकास के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य बाकी है। नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा की ही बात करें, तो इस बारे में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के सर्वोत्तम विकल्प होते हुए भी हम हँसी के पात्र बनकर रह गए हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बढ़ती बेरोजगारी का है। कई अर्थशास्त्रियों ने ईशारा किया है कि नौकरियाँ खत्म होती जा रही हैं। पिछले सात वर्षों के दौरान 'सरप्लस वाली अर्थव्यवस्था' को राष्ट्र ने 'कमी वाली अर्थव्यवस्था' में बदलते देखा है। शक्ति आर्थिक समृद्धि से आती है। मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर है तो आर्थिक समृद्धि भी खतरे में है। दिल्ली में बैठी सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। मजबूत भारत के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार की आवश्यकता है, जो कड़े निर्णय ले सके। यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों वाले इस कुशासन ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

निकम्मेपन और भ्रष्टाचार का जश्न?

हाल ही में यूपीए सरकार ने अपनी दूसरी सालगिरह मनाई। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार वे किस बात का जश्न मना रहे थे? क्या यह अवसरों को खोने

की खुशी मनाई जा रही थी? क्या ये लोग इस बात पर प्रसन्न हो रहे थे कि भारत अब विदेशी निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है? क्या ये लोग इस बात पर प्रसन्न हो रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में हमारी स्थिति और खराब मानी है? यूपीए का जश्न सिर्फ इस खतरे की याद दिलाता है कि सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि यूपीए की तीसरी सालगिरह मना पाने के अवसर बहुत कम हैं और वे जल्दी–से–जल्दी ज्यादा–से–ज्यादा हड़पने में जुट जाएँगे, ठीक वैसे ही जैसे किसी जन्मदिन के समारोह में दो साल का बच्चा अपने मुँह में ठूँस–ठूँसकर केक भरने लगता है।

यूपीए–2 की सरकार को इसकी दूसरी सालगिरह पर उदासीन और भ्रमित कहना काफी नहीं होगा। आरंभ से ही वह समग्र विकास को लेकर भ्रम में पड़ी है। वास्तव में इन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों का ही विकास किया है! इससे पहले सत्ताधारी दल के करीबी इतने ज्यादा नेता तिहाड़ जेल में कभी नहीं देखे गए। यूपीए सरकार का योगदान बस भ्रष्टाचार और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने का है। इन दोनों के अलावा, उसका अन्य मोर्चों पर रिकॉर्ड बेहद खराब है। अब यूपीए के नेता शुचिता की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने संसद् में एक के बाद एक घोटाले नहीं उठाए और लोगों को इस बारे में जागरूक नहीं बनाया! इस 'यूनाइटेड परवर्जन एलायंस' (संयुक्त भ्रष्टाचार गठबंधन) ने जाँच के बारे में होंठ तक नहीं खोले थे। हमें खुशी है कि कुछ स्वयंसेवी संगठन भी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लडाई में आगे आ रहे हैं। समाज के सभी वर्गों को इसमें जुटना होगा। हालाँकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा ने ही भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद् और जनता के बीच लगातार उठाया।

यूपीए नेतृत्व को लोगों को यह बताना पड़ेगा कि 2जी और राष्ट्रमंडल खेलों में दिनदहाड़े लूट होने ही कैसे दी गई? कोई छोटा बच्चा भी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि जब ए. राजा और सुरेश कलमाडी भ्रष्टाचार करने में जुटे थे, तब प्रधानमंत्री इससे अनजान रहे होंगे! लोक लेखा समिति में सहयोग करने के बजाय यूपीए ने जांच प्रक्रिया में बाधा डालने के हर संभव प्रयास किए। पीएसी प्रकरण में जो कुछ हुआ है वह संसदीय प्रक्रियाओं का राजनीतिकरण है। दुःख की बात है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी–दोनों ने ही कांग्रेस को समर्थन दिया और भ्रष्टों के गठबंधन को नया रूप दिया। भ्रष्टों के इस गठबंधन को उजागर करने के उद्देश्य से मैं –कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से तीन मुख्य सवाल पूछना चाहता हूं –

1. कांग्रेस यह बताये कि उसने सीबीआई पर दबाव डालकर सपा और बसपा के नेताओं पर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में यूर्न नहीं करवाया क्या?

2. क्या समाजवादी पार्टी ने यूपीए सरकार को बचाने के लिए संसद से बर्हिगमन नहीं किया ?

3. पीएसी में, क्या सपा और बसपा ने यूपीए को वोट देकर भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया ?

भारत को आतंक, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का हमारा सपना लंबे समय से रहा है, –जिसे हम कहते हैं: भय और आतंक, भूख, भ्रष्टाचारमुक्त समाज। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो इसके खात्मे के लिए हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा। मेरी हमेशा से जोरदार अपील रही है कि राजनीति पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाई जानी चाहिए। जो लोग राजनीति में हैं, वे अगर आत्म–निरीक्षण करें और राजनीति में अपने आने के उद्देश्य पर फिर से विचार करें तो मुझे यकीन है कि लोग भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचारमुक्त भारत

मित्रों, भारत को आतंक, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का हमारा सपना लंबे समय से रहा है, –जिसे हम कहते हैं: भय और आतंक, भूख, भ्रष्टाचारमुक्त समाज। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो इसके खात्मे के लिए हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा। मेरी हमेशा से जोरदार अपील रही है कि राजनीति पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाई जानी चाहिए। जो लोग राजनीति में हैं, वे अगर आत्म–निरीक्षण करें और राजनीति में अपने आने के उद्देश्य पर फिर से विचार करें तो मुझे यकीन है कि लोग भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए मेरी यह सोच है कि एक ओर हमें व्यक्ति निर्माण के जरिए जागरूक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा जोर प्रशिक्षण के जरिए ईमानदारी और उद्देश्यपूर्णता जैसे विचारों को बढ़ावा देकर मानसिकता का निर्माण करने और अंत्योदय जैसे हमारे कार्यक्रमों के जरिए व्यक्ति निर्माण पर है। दूसरी ओर, हमें अपने प्रशासन और सरकारी कामकाज को पारदर्शी और खुला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा–से–ज्यादा जवाबदेही के लिए प्रभावशाली तंत्र और ऑडिट भी आवश्यक हैं और मुख्यमंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में हमने इस पर जोर भी दिया था। एक

बार फिर मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से अंतःकरण से अपील करता हूँ कि वे प्रशिक्षण और अंत्योदय जैसे कार्यक्रमों का महत्व समझें और लोगों को राजनीति में आने की अपनी प्रेरणा की याद दिलाएँ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति बुनियादी तौर पर लोगों की सेवा का ही साधन है।

हमने अपने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अधिक–से–अधिक उपयोग पर भी चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक–टेंडरिंग, इलेक्ट्रॉनिक–खरीदी, छात्रवृत्तियों और अन्य आर्थिक लाभों के इलेक्ट्रॉनिक–वितरण आदि की भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हमारी कई सरकारें इनको पहले से ही लागू करती आ रही हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और बिहार सरकारों ने 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' तथा 'स्पेशल कोर्ट अधिनियम' जैसे दो समान कानून पारित किए हैं, जोकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मित्रों, श्री अडवाणी जी के मार्गदर्शन में एक समिति चुनाव सुधारों के विशय पर विचार कर रही है। हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सुव्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता है। मैं पाँच सूत्रीय व्यावहारिक कार्ययोजना का सुझाव दे रहा हूँ। मैं अपील करता हूँ कि आप लोग इस पाँच सूत्रीय एजेंडे को लोगों के बीच ले जाएँ और इसके लिए व्यापक समर्थन जुटाएँ। ये पाँच सूत्र इस प्रकार हैं :

1. भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों से निपटने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र तंत्र की स्थापना की जाए।
2. न्यायाधीशों की नियुक्तियों और गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित किया जाए।
3. विधानसभाओं से होने वाले विधानपरिषद् के चुनावों में खुले मतदान की व्यवस्था करना।
4. सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति के जब्त करने के लिए बनाए गए दो कानूनों – मध्य प्रदेश और बिहार के लोक सेवा गारंटी कानून का निर्माण।
5. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में आने से रोकने के लिए कानून का निर्माण।

फूट डालो और राज करो की राजनीति

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और इसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा तैयार 'साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम एवं लक्षित हिंसा (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011' – यूपीए सरकार की अभी तक की सर्वाधिक खतरनाक विधायी पहल है। इस विधेयक से ज्यादा बढ़कर कुछ और कांग्रेस पार्टी का 'फूट डालो और राज करो' की नीति का विषैला एजेण्डा नहीं हो सकता। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो यह बहुसंख्यक समुदाय को सदैव के लिए सभी साम्प्रदायिक हिंसा के लिए स्थायी रूप से दोषी बना देगा और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को हमेशा के लिए निर्दोष पीड़ित, चाहे केस के तथ्य कुछ भी हों।

इस विधयेक के तहत दण्डात्मक प्रावधान इतने भयावह हैं कि कोई सामान्य हिन्दू नागरिक और हिन्दू संगठन अपने आपको किसी भी झूठी और पूर्वाग्रहग्रसित शिकायतों से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा, विशेषकर चूंकि शिकायतकर्त्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी और इस कानून के तहत दायर किए जाने वाले केस गैर–जमानती होंगे। इससे बढ़कर और ज्यादा विचित्र स्थिति क्या होगी कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति दिनदहाड़े साम्प्रदायिक प्रेरित हिंसा में हत्या भी कर देता है तो भी उसके विरूद्ध केस दायर नहीं हो सकेगा!

आतंकवाद पर राष्ट्रव्यापी बहस और विशेषकर जब संसद प्रभावी आतंकवादी विरोधी कानून की आवश्यकता पर बहस कर रही थी तब सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत थे कि आतंकवाद को किसी मजहब या समुदाय विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जबकि एनएसी द्वारा तैयार साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक का मूल आधार ही साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक हिंसा को बहुमत समुदाय के साथ जोड़ता है। यह दृष्टिकोण सरेआम और निर्विवाद रूप से हिन्दू विरोधी है। किसी भी सभ्य राष्ट्र में इस प्रकार का विभेदकारी कानून नहीं हो सकता–और कोई भी स्वाभिमानी तथा सेकुलर भारतीय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि एनएसी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करती है मगर इसकी अध्यक्षा प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्तिशाली हैं! एनएसी को कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही यह संसद के प्रति जवाबदेह है। एनएसी के साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक का एक और अन्य खतरनाक पहलू है कि यह केन्द्र को राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का अवसर देता है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, विशेषकर गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का जोरदार विरोध करें तथा प्रधानमंत्री से इसे सदा–सर्वदा के लिए समाप्त करने का आग्रह करें। याद रहे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक कॉमन सिविल कोड की कल्पना की थी। इस मोर्चे पर सरकार कन्नी काटती रही है लेकिन अब एक पृथक क्रिमिनल

कोड का खतरा पैदा हो रहा है?

मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को लोगों तक ले जाकर कांग्रेस पार्टी की 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत सत्ता में बने रहने के उसके कुत्सिग इरादों का पर्दाफाश करें।

नक्सली खतरा भी ऐसा ही एक अन्य मुद्दा है जिस पर सरकार लगातार परस्पर विरोधी संकेत दे रही है। यूपीए अदालतों द्वारा दण्डित लोगों का सत्कार करने में जुटी है। मैं यूपीए नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वे डॉ॰ विनायक सेन सम्बन्धी इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का साहस कर सकेंगे?

किसानों की हालत

जैसाकि हम कहते आ रहे हैं, गलत आर्थिक नीतियों और कुशासन के आम आदमी पर पड़े बुरे प्रभाव के कई उदाहरण हैं। साल दर साल हमारे किसान अच्छी और बंपर फसल पैदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई दूरदृष्टि ही नहीं है और अनाज के उचित भंडारण के लिए व्यवस्था की कोई योजना नहीं है। कुछ राज्यों में स्कूलों की इमारतें अनाज के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निंदा किए जाने पर भी सरकार नहीं जागी है। पिछले वर्ष 58 हजार टन खाद्यान्न सड़ने दिया गया और मुझे डर है कि कहीं इस साल भी अनाज सड़ न जाए और वंचित वर्गों को एक बार फिर भुखमरी का सामना न करना पड़ जाए।

यूपीए सरकार आम आदमी के बारे में अपनी चिंता प्रकट तो करती है लेकिन इसकी सारी नीतियां और फैसले आम आदमी के रोजगार और जीवन यापन को चौपट करने वाले हैं। पिछले महीने, इसने पेट्रोल के दामों में 5 रूपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की। डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। सन् 2004 जब से यूपीए सत्ता में आई है, इसने पेट्रोल के दामों में 23 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है।

कपास निर्यात के बारे में इस सरकार में अनिश्चितता कायम है। वास्तव में इस सरकार की पूरी आयात–निर्यात नीति के मूल में किसानों के हित कभी रहे ही नहीं। यही कारण है कि खेती के कार्य से लोग लगातार दूर होते जा रहे हैं और इसके चलते ही किसानों की आत्महत्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं।

भूमि अधिग्रहण

विकास के लिए कृषिभूमि का अधिग्रहण पहले से ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति, विशेष रूप से भट्टा–परसौल के संदर्भ में अपना समर्थन हम पहले से व्यक्त कर चुके हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरूण जेटली, श्री राजनाथ सिंह, श्री कलराज मिश्र तथा सूर्य प्रताप शाही सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने वहां की व्यथा को मुखरित किया है। लेकिन जहाँ तक जमीन अधिग्रहण का प्रश्न है, मैं अपने कुछ सुझाव आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। हमें याद रखना होगा कि भू–स्वामियों का पुनर्वास भूमि विकास नीति का अभिन्न हिस्सा हो। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर संपूर्णता में विचार होना चाहिए भूमि की मात्रा, अधिग्रहण का सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में, मैं आपके सम्मुख विचारार्थ चार प्रमुख बिन्दु रख रहा हूं। ये चार सूत्र हैं:

(क) विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीदी हर हालत में मौजूदा बाजार मूल्य से ज्यादा पर हो।

(ख) भू–स्वामियों के लिए वार्षिकी या ईक्विटी का प्रावधान हो।

(ग) विकास परियोजना में जमीन के मालिक के परिवार के कम–से–कम एक सदस्य को रोजगार मिले।

(घ) भू–स्वामियों को विकसित भूमि का उचित हिस्सा वापस दिया जाए।

(ङ) भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले खेतिहर मजदूरों को उचित राहत एवं पुर्नवास हो।

मूल्य वृद्धि और वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों की उपेक्षा!

इस सरकार में सुधारों के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है, इसलिए यह अक्सर शॉर्टकट की तलाश करती है। पिछले नौ महीनों में ईंधन की कीमतों में नौ बार बढ़ोतरी की गई है। इसका सबसे बुरा असर आम आदमी पर पड़ा है, जिसका नाम ले–लेकर यूपीए ने हाल ही में हुए कई चुनावों में वोट माँगे हैं।

यूपीए सरकार आम आदमी के बारे में अपनी चिंता प्रकट तो करती है लेकिन इसकी सारी नीतियां और फैसले आम आदमी के रोजगार और जीवन यापन को चौपट करने वाले हैं। पिछले महीने, इसने पेट्रोल के दामों में 5 रूपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की। डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। सन् 2004 जब से यूपीए सत्ता में आई है, इसने पेट्रोल के दामों में 23 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सरकार के पास सदैव यह विकल्प उपलब्ध रहता है कि वह चाहे तो ईंधन पर करों को कम कर आम आदमी को कुछ राहत दे सकती है मगर इस सरकार ने इसे कभी लागू नहीं किया। कहने की जरूरत नहीं कि इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी तथा

आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ना लाजिमी है। अब यह पहले से और साफ हो गया है कि अपने को अर्थशास्त्री बताने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां गरीबों को आहत कर रही हैं और अमीरों को फायदा पहुंचा रही हैं।

उनकी असफलता का एक और प्रमाण इस तथ्य में है कि पिछले सात वर्षों में यूपीए सरकार ने गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए नगण्य प्रयास किए हैं। भारत की भूमि पर सौर ऊर्जा और ऊर्जा आधारित बायो–मास की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के लिए बायो–मास का उपयोग हमारे किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हम आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं के अधिकतम उपयोग के लिए हमारा आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।

जहां कांग्रेस ने इस मामले में राष्ट्र को निराश किया है वहीं भाजपा ने रास्ता दिखाया है। हाल ही में हमारा एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमंत्री महोदय से मिला था और हमने बायो–ईंधन की राष्ट्रीय नीति के शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। देशभर में बायो–ईंधन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी संस्थागत निकाय की स्थापना की जरूरत है। हम पहले ही केन्द्र और सभी राज्यों में बायो–ईंधन विकास बोर्ड/अथॉरिटी स्थापित करने की मांग कर चुके हैं। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे भाजपा शासित प्रदेश इस सम्बन्ध में पहले ही उदाहरण प्रस्तुत कर चुके है।

उत्तर प्रदेश की स्थिति

दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की स्थिति पर एक अलग प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैं इस पर अभी बहुत अधिक नहीं बोलूँगा। हालाँकि मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा कि पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने पार्टी संगठन को प्रेरित किया है और जनता से जुड़े मुद्दों को बेहद आक्रामक तरीके से उठाया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने कई मुद्दों पर आंदोलन किए और हमारे कार्यकर्ताओं ने कई बार पुलिस की लाठियाँ झेली हैं। हमें इस आक्रामक सक्रियता को बनाए रखना होगा। मैं फिर से यह बात दुहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का किसी के भी साथ किसी भी तरह के चुनावी तालमेल का कोई प्रश्न नहीं है। हमें यहाँ अकेले ही आगे बढ़ना है। कांग्रेस को समर्थन देने की बारी आती है, तो सपा और बसपा दोनों ही मिल जाते हैं। हमें मतदाताओं को सपा और बसपा के इस दोगले चरित्र के बारे में बताना होगा। दिल्ली में दोस्ती और लखनऊ में नूरा कुश्ती, ये कांग्रेस, सपा और बसपा का खेल है और हम अब इन दलों को लोगों को और छलने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा लक्ष्य वर्तमान गुण्डाराज और जंगलराज के स्थान पर रामराज्य लाना है। उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने भाजपा के राष्ट्रवाद और सपा, बसपा तथा कांग्रेस गठबंधन के अवसरवाद का – विकल्प है।

आज ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के दिल्ली में सत्तारूढ़ होने के बावजूद वहाँ सपा और बसपा, दोनों ही उसका समर्थन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों की दिशा तय करता रहा है, लेकिन आज वह अपनी हैसियत खो चुका है। तो जब हम उत्तर प्रदेश के लिए सुशासन की बात करते हैं, तो हम भारत में सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के गौरव को बहाल करने की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश का खोया हुआ गौरव वापस लाएँगे। यह बहुत दुख की बात है कि बीमारू राज्यों के रूप में जाने जाने वाले अन्य राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं, बीमारू छवि से उबर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश अविकसित ही बना हुआ है। उत्तर प्रदेश को काम करने वाली सरकार की आवश्यकता है और हम उसे ऐसी सरकार देंगे।

आतंकवाद

आतंकवाद हमारी संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। यूपीए सरकार की शिथिल नीति से हम आहत हैं। सरकार द्वारा तैयार वांछित आतंकवादियों की सूची में बार बार हुयी गड़बड़ियां राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इसके चलते दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। यह एकमात्र घटना दर्शाती है कि कैसे जवाबदेही के अभाव में–और वह भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर – यूपीए अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया है।

शिकागो की अदालत में मुकदमे की सुनवाई ने हमें एक बार फिर 2008 के मुंबई हमले की याद दिला दी कि किस तरह भारत सरकार पाकिस्तान में बैठे और आतंकवादी हमले करवा रहे मुख्य षड्यंत्रकारियों को वापस लाने में असफल रही है। भारत पड़ोसी देश में हो रही घटनाओं को मूकदर्शक बनकर देखता नहीं रह सकता। मुंबई हमले के षड्यंत्रकारियों को समझ आना चाहिए कि अब भारत विरोधी मंसूबे नहीं चलेंगे। मजबूत भारत के लिए ऐसी सरकार की आवश्यकता है, जो अपने पड़ोस और बाकी दुनिया में, अपने हितों और मूल्यों के लिए दुनिया से अपनी शर्तों पर बात कर सके।

मजबूत भारत के लिए ऐसी सरकार की भी आवश्यकता है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा तंत्र में सुधार के लंबे और कठिन

कार्य से कभी विमुख न हो।

पाकिस्तान की स्थिति

पाकिस्तान की स्थिति वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई है। यह एक कट्टरपंथी देश बन चुका है। यह साफ है कि वहां के परमाणु संयंत्रों पर 'खतरनाक तत्वों' का कब्जा है। तालिबानी गुटों द्वारा एक 'डर्टी' परमाणु बम को बनाने की क्षमता अब सच्चाई बन चुकी है। स्थिति इतनी भयावह है कि क्षेत्रीय अस्थिरता बनने का खतरा पैदा हो गया है।

पाकिस्तान को एक 'आतंकवादी देश' और आई.एस.आई. को एक 'आतंकवादी संगठन' घोषित कराने हेतु एक जोरदार आक्रामक कूटनीतिक अभियान चलाने के बजाय मनमोहन सिंह सरकार पाकिस्तानी सरकार से अर्थहीन संवाद चलाने के पीछे पड़ी है। यूपीए के घोषणा पत्र (2009) में शामिल यह घोषणा कि जब तक 26/11 के अपराधियों को भारत को सौंपने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति नहीं होती तब तक पाकिस्तान से बात नहीं की जाएगी, के बावजूद सरकार ने बातचीत न केवल शुरू की अपितु बलूचिस्तान पर भी चर्चा की बात स्वीकार कर ली! हमें आश्चर्य है कि कौन से पाकिस्तान से भारत सरकार बातचीत करने का प्रयास कर रही है? क्या यह तालिबानी वर्ग है? क्या यह आई.एस.आई. है? या यह सैनिक शासन है? या यह अप्रभावी गैर–सैनिक सरकार है जो नाम मात्र की है? यह तमाशा रुकना चाहिए। यदि भारत उससे बातचीत करता रहा तो हमारी इस मांग में कोई विश्वसनीयता नहीं होगी कि पाकिस्तान को एक 'आतंकवादी देश' घोषित करना चाहिए।

पाकिस्तान को एक 'आतंकवादी देश' और आई.एस.आई. को एक 'आतंकवादी संगठन' घोषित कराने हेतु एक जोरदार आक्रामक कूटनीतिक अभियान चलाने के बजाय मनमोहन सिंह सरकार पाकिस्तानी सरकार से अर्थहीन संवाद चलाने के पीछे पड़ी है।

सरकार इस्लामाबाद से तुरंत मांग करेः (1) 26/11 के अपराधी जो उस देश में खुलेआम घूम रहे हैं, को भारत को सौंपा जाए, (2) 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के दोषियों सहित भारत में विभिन्न आतंकवादी अपराधों में शामिल लोगों, जिनकी भारत ने सूची भी दी है पर तुरन्त कार्रवाई कर, भारत को सौंपे जाने चाहिएं। (3) पाकिस्तान से तब तक बात नहीं की जाय जब तक वह अपनी भूमि पर मौजूद आतंकवादी ढांचे, जो भारत के विरूद्ध भी सक्रिय है, को नष्ट नहीं कर देता। भारत को अमेरिका और वैश्विक समुदाय पर दबाव बनाकर पाकिस्तान को एक 'आतंकवादी देश' घोषित करने तथा उसे सभी तरह की आर्थिक और सैन्य सहायता देने से रोक लगाने का दवाब बनाना चाहिए।

भारत–चीन सीमा विवाद पर हमें तात्कालिकता से मगर जल्दबाजी में नहीं, विचार करने की जरूरत है। दुनियाभर में यह सर्वाधिक लंबा सीमा विवाद चला आ रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के राहत और पुनर्वास श्रमिकों की लगातार उपस्थिति और श्रीलंका में प्रस्तावित नौसैनिक अड्डे हमारे लिए चिंता का विषय है। वैश्विक केन्द्र मंच पर आने के लिए हमें भारत की विशाल आर्थिक संभावनाओं की राजनीतिक इच्छा का प्रदर्शन करना होगा। हमें दुनियाभर में फैले भारतवंशियों का अच्छा उपयोग कर भारतीय व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय व्यवसाय जगत कुछ हद तक हमारे सद्भावना दूत बनकर मैत्री और सम्बन्धों को मजबूत बना सकते हैं।

गुवाहाटी से लखनऊ तक

मित्रों, इस साल की शुरुआत में हम गुवाहाटी में मिले थे। गुवाहाटी और लखनऊ के बीच हमारा पार्टी संगठन कई मोर्चों पर आगे बढ़ा है। हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ ने सुशासन प्रकोष्ठ के साथ मिलकर चित्रकूट में हमारे 110 जिला पंचायत अध्यक्षों का दो दिवसीय सम्मेलन सफलतापूर्वक किया था। जल प्रबंधन, कारीगर, आरटीआई और मानवाधिकारों के बारे में काम कर रहे हमारे प्रकोष्ठों ने अपनी बहुआयामी गतिविधियाँ आरंभ कीं, हमारे कई नए कार्य भी बेहतर रूप में सामने आ रहे हैं। दो सप्ताह पहले ही हमने लखनऊ में ही वकीलों का सफल सम्मेलन किया था। इसके अतिरिक्त, नवगठित भारतीय जनता मजदूर महासंघ ने भी तत्परता से अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। अंत्योदय के मोर्चे पर हमने सामाजिक और सामुदायिक सेवा परियोजनाओं पर एक शहरी झुग्गी बस्तियों में प्रशिक्षण कार्यशाला की। प्रशिक्षण के मोर्चे पर, हमने देश भर के 28,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं का प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण पूरा किया। अब हम उच्च स्तर के प्रशिक्षण के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और आशा है कि जुलाई तक यह कार्य भी शुरू हो जाएगा।

हमारा संसदीय दल भी बहुमुखी गतिविधियों में जुटा हुआ है। श्री लालकृष्ण आडवाणीजी के मार्गदर्शन में, सुषमा स्वराजजी और अरुण जेटलीजी ने हमारे सांसदों के प्रदर्शन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मिलकर कई कदम उठाए हैं। हाल ही में बिहार में हमारे सभी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की

गई।

प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, हम लखनऊ में कई मुद्दों पर विचार करने और आगे आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले वर्ष में हमें उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और फिर उत्तर प्रदेश एवं गोवा में विधानसभा चुनावों का सामना करना है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में नगर निगमों के चुनाव भी होने हैं। जहाँ हम सत्ता में हैं, वहाँ हमें जनादेश को फिर से हासिल करना है और जहाँ हम सत्ता में नहीं हैं, वहाँ लोगों का विश्वास हासिल करना है। इसके लिए सक्रिय दृष्टि आवश्यक है। हमें लोगों तक पहुँचना होगा, उनकी समस्याएँ सुलझानी होंगी और भाजपा को विकास के वैकल्पिक दृष्टि वाले दल के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले, महाराष्ट्र और असम में हमने विज़न दस्तावेज तैयार किए थे। अब हम पहले ही उत्तर प्रदेश के लिए विज़न दस्तावेज तैयार करने की योजना पर काम कर रहें हैं। हमें मुद्दों पर मंथन करना चाहिए, दृष्टिकोण की समानता विकसित करनी चाहिए और लोगों को भविष्य की सोच के बारे में बतलाना चाहिए। लोगों का यह लगना चाहिए कि हम अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं हैं। हम सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं हैं। हमें अपनी पहचान बनानी है, लोगों के दिल जीतने हैं और लोकप्रिय जनादेश हासिल करना है। उत्तर प्रदेश से अपने–अपने स्थानों को वापस जाते समय हमारे पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। विचारों की अधिकतम स्पष्टता और लोगों का विश्वास जीतने के दृढ संकल्प के साथ हम यहाँ से वापस जाएँ।

आजकल लोग एक राजनीतिक पार्टी से सर्वत्र दिखने की अपेक्षा करते हैं। हमारी उपस्थिति सड़कों पर, सेवा गतिविधियों में, बौद्धिक सेमिनारों में, टेलीविज़न की बहसों और यहां तक कि समाचार पत्रों में दिखनी चाहिए। यह संभव बनाने के लिए हमें अपनी क्षमता अनेक गुना बढ़ानी होगी।

हमारी कई संगठनात्मक और अन्य गतिविधियाँ एवं विचार अद्वितीय हैं और शायद ही कोई अन्य राजनीतिक दल इस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन अपनी पार्टी की इस विशिष्टता के साथ लोगों तक जाने के लिए हमें सांगठनिक रूप से सक्रिय होना होगा। हमें संवादपरक होना होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हम अपने दल के सकारात्मक कार्यों के बारे में अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के साथ चर्चा करते हैं। मित्रों, हमें याद रखना होगा कि अगर हम स्वयं ही अपनी पार्टी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएँगे। हम सभी को अपने अंदर झाँकना होगा और इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि हमने पार्टी के उद्देश्यों के लिए कितना योगदान किया है। हमें अधिक–से–अधिक अध्ययन करना होगा और मुद्दों को समझना होगा, वंचितों के सरोकार उठाने होंगे, सक्रियता के आधुनिक तरीके इस्तेमाल करने होंगे और अपनी साख स्थापित करनी होगी।

मित्रों, हमारी पार्टी के इतिहास में लखनऊ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे समूचे वैचारिक आंदोलन की गतविधियों का केंद्र लखनऊ रहता आया है। हालाँकि जनसंघ की औपचारिक संस्थापना दिल्ली में हुई थी लेकिन उससे पहले कई अनौपचारिक बैठकें लखनऊ में ही हुई थीं। दीनदयालजी, नानाजी देशमुख और अटलजी ने यहीं पर महत्वपूर्ण विचार–विमर्श किया था। ऐसे में स्वाभाविक है कि जब हम लोग यहाँ से जाएँगे तो हमारे अंदर इस भूमि का एक प्रेरक संदेश होगा, जिसे हम हर जगह फैलाएँगे। अगले वर्ष हम स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। स्वामीजी से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इस अवसर का उपयोग करते हुए स्वामी विवेकानन्द द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय पुनर्रूथान के संदेश को लोगों तक ले जाने के लिए जिला स्तर और उससे भी निचले स्तर तक कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाए।

लखनऊ में आज, गोमती के तट पर हम ये संकल्प लेते हैं कि अपनी पार्टी की समृद्ध विरासत को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। जनसंघ के गठन का यह 60वाँ साल है। इस पवित्र अवसर पर हम डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, भैंरोंसिंह शेखावत, सुंदरसिंह भंडारी और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे पार्टी नेताओं के त्याग और तपस्या को याद करते हैं। जून का महीना हमें डॉ. मुखर्जी के बलिदान की याद दिलाता है। दशकों पहले, आपातकाल लगाए जाने पर लोकतंत्र की बहाली के लिए हममें से कई सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे।

मित्रों, प्रामाणिकता से मेरा मानना है कि नियति ने हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। अगर हम असफल होते हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम यहाँ से वापस जाएँगे तो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास, उत्साह से भरे होंगे और हमारे अंदर अद्वितीय राजनीतिक सक्रियता के जरिए समाज की सेवा का संकल्प नए सिरे से भरा होगा। याद रखिए, अगर हमने अपने वर्तमान को सँभाल लिया तो भविष्य हमारा होगा।

èkU;okn] onekrjeA ■

संप्रग सरकार स्वतंत्र भारत की सबसे भ्रष्ठ सरकार

लखनऊ (उ.प्र.) में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार ने बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जिसका अनुमोदन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमभाई रूपाला एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सैयद शहनवाज हुसैन ने किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेसनीत यूपीए शासन में घोटालों का अंतहीन सिलसिला जारी है। 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श कॉआपरेटिव घोटाला, देवास मल्टीमीडिया घोटाला, विदेशों में कालाधन– सीवीसी नियुक्ति मामला आदि घोटालों ने देश वासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भाजपा इन घपलों और घोटालों को उजागर करती रहेगी और इनके खिलाफ लड़ती रहेगी। हम यहां इस प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं–

यूपीए : आजादी के बाद की भ्रष्टतम सरकार

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए–2 सरकार ने अपने दो साल पूरे कर लिए है। उक्त अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती क्योंकि एक ऐसी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प कर रही है, जिसका हाल तक का एक मंत्री, एक वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद और यूपीए के एक महत्वपूर्ण घटक के नेता की पुत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर तिहाड़ जेल में बंद हैं। यह बात काफी अहम है कि ये गिरफ्तारियां भाजपा के अभियान, सतर्क मीडिया, के दबाव तथा सर्वोच्च न्यायालय की सतत निगरानी के कारण संभव हो सकीं। वस्तुतः इसके लिए डॉ. मनमोहन सिंह या उनकी सरकार कोई श्रेय नहीं ले सकती क्योंकि कार्रवाई करने की बजाए उन्होंने तो इनमें से कुछ को निर्दोष होने का प्रमाणपत्र दे दिया था। यह जाहिर है कि डॉ. मनमोहन सिंह आजादी के बाद की देश की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार के मुखिया हैं। इसमें पारदर्शिता की कमी है, उच्च स्तर पर संलिप्तता है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, पूरा तंत्र ढह चुका है तथा रोज–रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं। दरअसल, यह प्रधानमंत्री की 'षड्यंत्रकारी चुप्पी', 'आपराधिक उदासीनता', और 'घोर लापरवाही' थी की उनकी नाक के नीचे उनका एक मंत्री देश के खजाने को लूटता रहा और वे उसकी अनदेखी करते रहे। इसमें यूपीए की सर्वशक्तिमान नेता श्रीमती सोनिया गांधी की चुप्पी भी उल्लेखनीय थी।

घोटालों और राष्ट्रीय संपत्ति की लूटा का यह सिलसिला काफी बड़ा है। लेकिन, उनमें से कुछ प्रमुख का यहां उल्लेख किया जा रहा है।

2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन और लाइसेंस जारी करने में घोटाला

संचार मंत्रालय, भारत सरकार में 2जी लाइसेंसों के आबंटन में हुआ घोर भ्रष्टाचार स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। यह तंत्र के दुरूपयोग, गलतबयानी और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला है, जिसमें बहुमूल्य स्पेक्ट्रम और लाइसेंस आबंटन में भारी राशि के एवज में चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया। यह तथ्य सर्वविदित है कि कैसे लाइसेंसों के लिए आवेदन सार्वजनिक रूप से 1/10/2007 तक मंगाए गए थे, उसके बाद एक नकली कट–ऑफ तिथि 25/9/2007 बनाई गई और 25/9/2007 तथा 1/10/2007 के बीच किए गए सभी आवेदनों को

निरस्त कर दिया गया। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव होने पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे। इस पर कोर्ट ने भी प्रतिकूल टिप्पणी की।

प्रधानमंत्री ने तब भी चुप्पी साधे रखी जब तत्कालीन मंत्री ए. राजा ने 02 नवम्बर, 2007 के उनके पत्र की खुली अवहेलना की, जिसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम के उचित मूल्य के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया था क्योंकि 2007 में इसे 2001 के मूल्य पर बेचा जा रहा था, जबकि देश में टेलीडेंसिटी कई गुणा बढ़ चुकी थी। देश को यह जानने का हक है कि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए सारी प्रक्रिया को रोका क्यों नहीं जब सभी नियमों को ताक पर रख स्पेक्ट्रम कम मूल्य पर बेचा जा रहा था। क्या डॉ मनमोहन सिंह स्वयं जानकारी के बावजूद नहीं कार्यवाही करने और देश के राजस्व को हानि पहुंचाने के दोषी हैं कि नहीं। एक दिन के भीतर 120 लाइसेंस जारी किए गए तथा स्पेक्ट्रम का आबंटन किया गया, जिसमें कई अपात्र कंपनियों को भी लाइसेंस मिल गया।

चौंकाने वाली बात यह है कि एक नियमित सीबीआई मामला दर्ज हो जाने के बाद भी, डॉ. मनमोहन सिंह ने 26, जुलाई, 2009 को यह सार्वजनिक बयान दिया कि संचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ आरोप सही नहीं है। यह कह कर वे सीबीआई को क्या संदेश देना चाह रहे थे, जो सीधे उन्हीं के तहत काम करती है। जब उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की निगरानी शुरू की तो ये वही भूतपूर्व मंत्री थे, जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए।

प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना होगा कि समय–समय पर जिम्मेदार लोगों की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कैसे होने दिया। इसके उलट वे 2010 के मध्य तक तत्कालीन मंत्री ए. राजा को बेगुनाही का प्रमाणपत्र देते रहे। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम की भूमिका भी कई सवाल खड़े करती है। उनके विभाग द्वारा केबिनेट के 2003 के निर्णय के आलोक में ये आपत्ति बार–बार उठाई गई कि स्पेक्ट्रम के कीमत एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार तय की जाए जिसमें उसकी सार्वजनिक नीलामी भी हो सकती है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि 15 जनवरी 2008 को श्री चिदम्बरम ने तथाकथित रूप से यह निर्णय कि चूंकि 10 जनवरी को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दोनों का आबंटन हो चुका है। अतः इस मामले को अब बंद किया जाए। श्रीमती सोनिया गांधी को भी कई जवाब देने हैं। यूपीए तथा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा होने के नाते उस सरकार में जिसकी वो सर्वोच्च नेता है, जब राष्ट्र का धन लूटा जा रहा था उस समय उनकी क्या जिम्मेवारी बनती थी?

जब सीएजी ने लाइसेंस निर्गत करने तथा स्पेक्ट्रम के आबंटन के बारे में एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट तैयार की तथा 1.76 लाख करोड़ रूपए के नुकसान का अनुमान लगाया तो भरसक कोशिश की गई कि इस निष्कर्ष को झुठलाया जाए और वर्तमान संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने सार्वजनिक रूप से संसद में कहा कि कोई घाटा नहीं हुआ है। अब सीबीआई ने भी अपनी जांच के दौरान पाया है कि हजारों करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है और वह भी तदर्थ आधार पर। नुकसान का प्रथम दृष्टया अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को 35,000 करोड़ रूपए के लक्ष्य की तुलना में लगभग 67,000 करोड़ रूपए का जबर्दस्त मुनाफा हुआ और इसके अलावा ब्राडबैंड वायरलैस एक्सेस सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से उसे 38,000 करोड़ रूपए का और फायदा हुआ इसके बावजूद, जहां तक 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री ने किसी समीक्षा के आदेश नहीं दिए।

जब डॉ. मुरली मनोहर जोशी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में इस मामले की जांच कर रहे थे तो तब शुरू में डॉ. मनमोहन सिंह ने स्वयं श्री जोशी की एक अनुभवी संसदीय नेता के रूप में प्रशंसा की तथा कहा था कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। तथापि, जब डॉ. जोशी की अध्यक्षता वाली समिति ने कैबिनेट सचिव तथा प्रधानमंत्री के सचिव को पूछताछ के लिए बुलाया तो सभी संसदीय और संवैधानिक नियमों की अवहेलना करते हुए कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा इसमें बाधा पहुंचाई गई। जाहिर है कि यह सरकार बहुत कुछ छुपाना चाहती है। डॉ जोशी ने लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपार्ट सौंप दी है। हम यह मांग करते हैं कि उससे संसद के आगामी सत्र के पहले दिन संसद में प्रस्तुत करते हुए सार्वजनिक किया जाए।

अब वर्तमान कपड़ा मंत्री और मई, 2004 से मई, 2007 तक दूरसंचार मंत्री रहे दयानिधि मारन की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। उन्होंने जोर दिया और डॉ. मनमोहन सिंह आसानी से मान गए कि स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण मंत्री समूह के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहना चाहिए क्योंकि इस बारे में डीएमके से समझौता हुआ है। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब गंभीर आरोप लग रहे हैं कि एक खास मोबाइल कंपनी की 74 प्रतिशत ईक्विटी जब एक विदेशी कंपनी ने खरीद ली तो उसे फायदा पहुंचाया गया और तत्पश्चात् यह पैसा तथाकथित रूप से एक सहायक कंपनी के माध्यम से श्री मारन के परिवार के

बिजनेस में निवेश किया गया। हितों के स्पष्ट टकराव तथा अधिकार के दुरूपयोग के अलावा यह स्पष्ट था कि सरकारी निर्णयों की बिक्री हो रही थी। जाहिर है, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

हमें उम्मीद है कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी इस घोटाले की तह तक जाएगी और देषियों को सजा मिलेगी। गठबंधन राजनीति की मजबूरियों को भ्रष्ट लोगों का गठबंधन नहीं बना देना चाहिए। भाजपा की यह मांग है कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर मामले का जिम्मा यूपीए के सिर्फ एक सहयोगी (डीएमके) के ऊपर नहीं डाला जा सकता। सरकार में शीर्ष और वरिष्ठ पदों पर बैठे ऐसे लोग हैं जो इस लूट में शामिल रहे हैं। जाहिर है, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसी को पूरी छूट दी जानी चाहिए।

राष्ट्रमंडल खेलों में आम जनता के धन की लूट

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन उपलब्धि और उत्सव का मौका होता है। हांलाकि, कुछ महीने पहले दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार से देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी और नाराजगी झेलनी पड़ी। भाजपा ने खासतौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में लूट को सराहनीय ढंग से तथ्यों और आकड़ों के साथ देशभर में उजागर किया है। आज, श्री सुरेश कलमाड़ी आयोजन समिति के अपने अनेक सहयोगियों के साथ जेल में हैं। लेकिन, मामला यहीं खत्म नहीं होता। वे इसके मोहरे मात्र हैं। प्रत्येक फाइल को कैबिनेट, कैबिनेट सब–कमिटी, मंत्री समूह, संबंधित मंत्रालय, वित्त समिति, पीएमओ और अंततः प्रधानमंत्री की मंजूरी मिली थी।

प्रधानमंत्री ने श्री वी.के. शंगुलू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और घोषणा की कि इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। पांचवी रिपोर्ट में इसकी पुनः पुष्टि हुई कि गंभीर घपले हुए हैं, जिससे ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचा है और अपव्यय तथा सरकार को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया है कि ठेके देने में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं क्योंकि शुरूआत से ही साजिश थी कि परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब किया जाए, लागत बढ़ाई जाए और पैसा मांगा जाए और समय कम होने के कारण ऊंची लागत में ठेके दिए जाएं। समिति ने श्रीमती शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार जिनके हाथ में सारी वित्तीय शक्तियां थीं, विभिन्न एजेंसियों जैसे डीडीए, सीपीडब्लयूडी इत्यादि, श्री सुरेश कलमाडी की अध्यक्षता वाली आयोजन समिति की कड़ी आलोचना की है। चाहे वह राष्ट्रमंडल खेल गांव हो, यहां तक कि एयर कंडीशनरों, कुर्सियों, टॉयलेट पेपर तक खरीद में बड़े पैमाने पर घपले हुए हैं।

इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "बीमारी अंदर तक फैली है और इसे अपवाद नहीं माना जा सकता, जिसके लिए सिर्फ कनिष्ठ पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। इसमें शामिल अधिकारियों की आगे और जांच के आधार पर पहचान की जानी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।" समिति ने आगे कहा है, "एक प्रकार की कुटिलता से काम किया गया और परियोजनाओं में अनुचित विलंब शायद जानबूझकर किया गया, जिससे कि दहशत का माहौल उत्पन्न हो तथा सभी संबंधितों को लाभ पहुंचाया जा सके।"

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में करदाता के कुल पैसों का नुकसान लगभग 70,000 करोड़ रूपए है। यह सर्वविदित है कि वित्तीय अनुमोदनों में पीएमओ के कुछ अधिकारी शामिल थे। अब कार्रवाई करने की बजाए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और प्रधानमंत्री पुनः चुप्पी साधे हुए हैं। जैसा कि शुंगलू समिति ने सिफारिश की है, भाजपा यह मांग करती है कि उच्च पदों पर आसीन उन सभी लोगों की पहचान की जाए, उनकी जांच हो तथा उन्हें पर्याप्त दंड दिया जाए। भाजपा की यह मांग है कि सीबीआई को दिल्ली सरकार और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। इसमें उनकी संलिप्तता भी स्पष्ट है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) की संस्थागत गरिमा और नैतिकता से समझौता

यूपीए सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में पीजी थॉमस की नियुक्ति में नैतिकता की सभी सीमाओं को पार कर दिया। वे दागदार थे क्योंकि पामोलीन घोटाले से जुड़े मामलों में उन पर चार्जशीट की गई थी, जो केरल में एक कोर्ट के समक्ष लंबित थी। जो समिति अनुशंसा करने वाली थी, उसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष की नेता भी शामिल थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज ने श्री थॉमस की नियुक्ति का विरोध किया क्योंकि वे भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी थे। गृहमंत्री ने गलत बयानी की कि वे दोषमुक्त हो चुके हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज का यह अनुरोध कि नियुक्ति को एक दिन

के लिए टाल दिया जाए और तथ्यों का पता लगाया जाए या किसी और नाम पर विचार किया जाए, नहीं माना गया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने जबर्दस्ती श्री थॉमस की नियुक्ति कर दी। यहां यह उल्लेखनीय है कि पहले दूरसंचार सचिव के रूप में उन्होंने 2जी लाइसेंस देने के बारे में सीएजी की ऑडिट का यह कह कर विरोध किया था कि यह एक नीतिगत मामला है और इसका ऑडिट नहीं हो सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको पता है।

सीवीसी एक नैतिक गरिमायुक्त संस्था है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते समय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि DOPT की 2000 से 2004 के बीच की कई नोटिंग, जिसमें श्री थॉमस के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा की गई थी, चयन आयोग की जानकारी में नहीं लाई गई। कोर्ट ने कहा कि जब सीवीसी जैसी किसी संस्था की नैतिक गरिमा का प्रश्न हो तब जनहित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और वैयक्तिक नैतिकता और गरिमा का "निश्चय ही संस्थागत की नैतिकता गरिमा से संबंध है।" तदनुसार, कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया तथा यदि किसी सदस्य का विरोध है और बहुमत उसे अस्वीकार करता है तो उसे अवश्य ही इसका कारण बताना चाहिए।

अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। जब इस भारी घपले के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब वही था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। यह बात विचित्र लगती है कि जब कभी किसी अनियमितता के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वे अनभिज्ञता का रोना रोते हैं। डॉ. मनमोहन सिंह से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप कोई निगरानी नहीं करते अथवा जब कभी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उससे आप मुंह फेर लेते हैं।

एक प्रधानमंत्री के रूप में और चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में एक दागी अधिकारी की सीवीसी के रूप में नियुक्ति थोपने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह पूरी तरह जिम्मेवार हैं। उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर उन्होंने श्री थॉमस के विरूद्ध नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज की एक वैद्य आपत्ति को दरकिनार क्यों किया?

आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला

यह भी भ्रष्टाचार का एक कॉपीबुक मामला था। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी को रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण वाली जमीन कारगिल के नायकों और उनकी विधवाओं के लिए फ्लैट बनाने हेतु मुंबई के एक महंगे इलाके में दी गई थी। लेकिन, घपलेबाजी और धोखाधड़ी के जरिए इसे नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों ने हड़प लिया। जब चव्हाण राजस्व मंत्री और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे तो सभी नियमों से छेड़छाड़ की गई। यहां तक कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसके लाभार्थियों में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों सहित बड़े नेताओं के अनेक रिश्तेदार शामिल हैं।

यदि कारगिल के नायकों की याद के साथ हुए ऐसे अपमान पर देशभर में क्षोभ उत्पन्न न हुआ होता तो शायद इसकी भी जांच मुश्किल होती। हालांकि, अभी भी संदेह कायम है क्योंकि रक्षा विभाग द्वारा प्लाट के स्वामित्व संबंधी फाइल गायब हो गई है। यहां तक कि पर्यावरणीय स्वीकृति वाली फाइल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से गायब हो चुकी है।

एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड - देवास मल्टीमीडिया घोटाला

एक और घोटाला अंतरिक्ष विभाग में प्रकाश में आया है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। 2005 में एंट्रिक्स कारपोरेशन लि., इसरो की वाणिज्यिक शाखा, ने देवास मल्टीमीडिया के लिए दो सैटेलाइट लांच किए और बगैर निलामी या उपयुक्त मूल्य निर्धारण किए सिर्फ 1000 करोड़ रूपए में मोबाइल टेलीफोनी सहित दुर्लभ एस–बैंड के बीस वर्षों तक 70 डब्ल्यू के असीमित उपयोग का बड़ा फायदा दिया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल सरकार ने 3जी मोबाइल सेवाओं हेतु इसी तरह की वायु तरंगों हेतु 15 MHZ की नीलामी से 67719 करोड़ रूपए कमाए तथा 38000 करोड़ रूपए की उगाही ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज की नीलामी से हुई। इसमें न तो सरकार का कोई अनुमोदन लिया गया और न इसकी निगरानी हुई। इस सौदे के पांच वर्ष बाद इसे निरस्त करने का निर्णय जुलाई, 2010 में लिया गया। राष्ट्रीय खजाने को हुए इस नुकसान की देशव्यापी प्रतिक्रिया के बाद, इस सौदे को अंततः फरवरी, 2011 में रद्द किया गया। इसके पूर्व देवास मल्टीमीडिया के अधिकारी सरकार के तथा पीएमओ के उच्चाधिकारियों के संपर्क में थे।

अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। जब इस भारी घपले के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब वही था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। यह बात विचित्र लगती है कि जब कभी किसी अनियमितता के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वे अनभिज्ञता का रोना रोते हैं। डॉ. मनमोहन सिंह से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप कोई

निगरानी नहीं करते अथवा जब कभी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उससे आप मुंह फेर लेते हैं।

विदेशी बैंकों में जमा भारतीय नागरिकों का काला धन

भारतीय नागरिकों द्वारा अपराध और भ्रष्टाचार से उपर्जित काले धन को विदेशी बैंकों में जमा करने के सवाल पर सरकार की उदासीनता से लेकर देशभर में गहरी नाराजगी है। पहले जब लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा संसदीय दल के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने यह मुद्दा उठाया था तो कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया था। बाद में कहा गया कि सत्ता में आने के बाद सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस मुद्दे से जुड़े एक पीआईएल में जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणियां की है उससे सरकार की नीयत का पता लगता है। हम सिर्फ बहुविषयी समिति द्वारा अध्ययन और पांच बिंदुओं वाली रणनीति की बातें सुन रहें हैं। ये सिर्फ दिखावा है और इसमें ऐसा कोई इरादा नहीं कि एक समय–सीमा के भीतर कालेधन का पता लगाया जाए और देशवासियों को बताया जाए। अमेरिका दोहरी कर नीति के बावजूद टैक्स चोरों के नाम जाहिर करने के लिए स्विस अधिकारियों को मजबूर कर सकता है। भारत अब कोई तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, जिसकी जी–20 राष्ट्रों में अच्छी दखल है। इसका इस्तेमाल आखिर सरकार क्योंकि नहीं करती। भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि जो दिसंबर 2005 में प्रभावी हुई थी, उसका अनुसमर्थन भारत ने अभी पिछले सप्ताह ही किया है। यह वैश्विक भ्रष्टाचार से लड़ने का एक व्यापक उपकरण है। यदि उच्चतम न्यायालय की निगरानी नहीं होती तो प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों को हसन अली की निष्पक्ष जांच नहीं करने दी जाती जो लगभग 76,000 करोड़ रूपए का कर चोर है तथा जिसके कई विदेशी खाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है, आरोपित व्यक्तियों की जांच के दौरान कुछ बड़े कांगेसी नेताओं के विरूद्ध भी आरोप लगे हैं।

यूपीए सरकार में घोटाले एक के बाद एक चौंकाने वाली नियमितता से प्रकट होते रहते हैं। अनाज और खाद्य के आयात निर्यात में जितनी भयंकर अनियमितताएं हुई हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक है। एफ.सी.आई. के गोदामों में रखा लाखों टन अनाज सड़ गया और गरीब जनता भूख से कराहती रही, ये भी देश जानता है। अब कोयला के ब्लॉक के आबंटन में भी भयंकर अनियमतताओं की शिकायत सामने आ रही है, जो निजी हाथों में दिए गए हैं। ये आबंटन उस समय के भी हैं जब डॉ मनमोहन सिंह स्वंय कोयला मंत्री थे। ऐसे महंगे कोल ब्लॉक गैर सार्वजनिक निजी कंपनियों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को आबंटित किए गए। जिनका काम सवालों के घेरे में था और जिनकी योजनाएं सिर्फ कागज पर थीं।

उपरोक्त उदाहरण यूपीए–1 तथा यूपीए–2 सरकारों की भ्रष्टाचार की सिर्फ मिसालें हैं। निःसंदेह आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप नहीं लगे। देश ने देखा कि किस तरह शर्मनाक ढंग से रिश्वतखोरी के जरिए डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव जीता। आज तक भी दोषियों के विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। समूची यूपीए सरकार ओटैवियो क्वात्रोच्ची को बचाने में जुटी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि गांधी परिवार से उनकी करीबी थी। सभी को पता है कि कैसे एक सरकारी विधि अधिकारी की गलतबयानी के आधार पर बोफोर्स घोटाले के रिश्वत का पैसा उसके लंदन बैंक खाते से मुक्त किया गया था। इन घोटालों के कारण देश की जो तबाही हुई है, इसकी जिम्मेवारी से श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह बच नहीं सकते। उन्हें जवाब देना होगा। देश को अपने निष्कर्ष निकालने का हक है।

भाजपा इन घपलों और घोटालों को उजागर करती रहेगी और इनके खिलाफ लड़ती रहेगी। भाजपा की मांग है कि अपराध और भ्रष्टाचार से अर्जित भारतीय नागरिको का समस्त काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है, एक निश्चित समय–सीमा के भीतर भारत लाया जाना चाहिए और पर्याप्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि यूपीए सरकार के विभिन्न घोटालों में शामिल सभी बड़े–बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस शर्मनाक तरीके से डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने सार्वजनिक सम्पत्ति और कर दाताओं के पैसे के लूट की छूट दी उस आधार पर उसने शासन करने के सारे नैतिक आधार को खो दिया है। इस कारण भारत और भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया है और पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई है।

भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का आह्वान करती है कि वह यूपीए सरकार और शासन के दौरान जितने आयोजित और प्रायोजित भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार हो क्योंकि यूपीए का भ्रष्टाचार देश की राजनीति और शासन व्यवस्था को अन्दर से कमजोर और खोखला कर रहा है। जनमत का दबाव इसलिए भी आवश्यक है कि जो दोषी हैं; भले ही उनका कद अथवा पद कुछ भी हो के खिलाफ काईवाई हो सके और उन्हें दण्ड मिले।■

संघीय व्यवस्था ध्वस्त कर रहा संप्रग

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के पहले दिन 3 जून को 'संप्रग–हमारी संघीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा' विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रस्तुत किया तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने इसका अनुमोदन किया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने में जुटी हुई है, जिसके चलते पूरे देश में गैर–कांग्रेस शासित राज्यों के असहमति के स्वर सुनाई दे रहे हैं परन्तु उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। इस खतरे के प्रति भाजपा देश में जनजागरूकता पैदा करेगी। प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रस्तुत है:–

कांग्रेस–नीत संप्रग बिना किसी अपराधबोध अथवा पश्चाताप के हमारी संघीय व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। केन्द्र की संप्रग सरकार लगातार राज्यों के कानून बनाने के अधिकार को उन विषयों में हथिया रही है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। पूरे देश में गैर–कांग्रेस शासित राज्यों के असहमति के स्वर सुनाई दे रहे हैं। परन्तु उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है।

संघीय धर्म का सम्मान होना चाहिए

हमारे संविधान में हमारी संघीय ढांचे संबंधी व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख है। पिछले कई वर्षों में सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं तथा सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न निर्णयों से संघीय व्यवस्था की मूल भावना का और भी बेहतर ढंग से प्रतिपादन हुआ है।

संविधान में निहित संघीय ढांचे में भारत की विविधता को स्वीकारा गया है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, ''संविधान जहां तक द्वैत शासन प्रणाली स्थापित करता है, एक संघीय संविधान है। संघ राज्यों का एक समूह नहीं जो ढीले–ढाले संबंधों से जुड़ा हुआ हो ना ही राज्य संघ के एजेंसी हैं जो इससे शक्ति प्राप्त करते हों। संघ और राज्य दोनों संविधान द्वारा निर्मित है तथा दोनों संविधान से अपनी–अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं।'' धारा 154 राज्यों को कार्यकारी शक्तियां देता है जबकि धारा 246 केन्द्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। केन्द्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में केन्द्र और राज्य की शक्तियां स्पष्ट तौर पर विभाजित हैं। सहकारी संघीय व्यवस्था या संघीय धर्म का सम्मान होना था।

कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार ने स्वतंत्र भारत में इस धर्म की अवहेलना किसी भी अन्य सरकार से अधिक बार की है। इसने इसकी अवहेलना राज्यों तथा उनके अधिकार क्षेत्रों में विश्वासघाती तथा विकृत हमलों के द्वारा की है। ये ऐसे हमले हैं जो जांच एजेंसियों के माध्यम से कराये गये हैं। राज्य केवल संविधान में स्थित नहीं है। वे संविधान के ढांचे के अंतर्गत जीवंत एवं गतिशील रूप में विद्यमान हैं। वे वास्तव में राजनीतिक एवं नैतिक रूप से अस्तित्व में है। संप्रग–नीत केन्द्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र एवं वित्त पर धावा बोलकर और भी अधिक शक्तियां हथिया रही है। केन्द्र सरकार समवर्ती सूची में दर्ज विषयों में संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग कर कानून बना रही है लेकिन आवश्यक वित्तीय सहायता देने के अपने दायित्व से कतरा रही है।

श्री राजीव गांधी के काल में विरासत के रूप में राज्यों से केन्द्र की ओर नियोजित एवं व्यवस्थित रूप से झुकाव

बढ़ा है। पेयजल से लेकर तिलहन की आपूर्ति तक राज्यों में योजना मद के खर्च होने वाले कोष पर केन्द्र के बढ़ते नियंत्रण का चलन देखा जा रहा है। आज ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मनरेगा इसके उदाहरण हैं।

शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अर्थ राज्यों के मत्थे बिना केन्द्रीय सहायता के और अधिक खर्च मढ़ना है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहाल शिक्षकों पर अब राज्यों को और अधिक खर्च करना पड़ेगा क्योंकि केन्द्रीय सहायता अब 85 प्रतिशत से घटा कर 65 प्रतिशत कर दिया गया है।

संप्रग के विश्वासघाती हमले

संप्रग का राज्यों पर हमले शत्रुतापूर्ण, विश्वासघाती तथा राजनीतिक रूप से विकृत है। इनमें से अनेकों पर कानून के अंतर्गत प्रश्न नहीं खड़े किये जा सकते तथा न्याय क्षेत्र से बाहर भी हैं। परन्तु निश्चित तौर पर ये राजनीतिक अनैतिकता के पर्याय हैं तथा संघीय धर्म की भावना पर चोट करते हैं।

> राज्यपालों का आचरण, जो राजनीतिक एजेंटों की तरह कार्य कर रहे हैं, जनता, राजनीतिक दलों तथा मीडिया के विरोधों के बाद भी अनियंत्रित बना हुआ है। संवैधानिक अनौचित्यता बिना किसी रोक–टोक के बार–बार दोहराया जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा बार–बार मर्यादा भंग करना निर्लज्जतापूर्ण और शर्मनाक है। यह दूसरी बार था जब केन्द्र सरकार ने निर्वाचित भाजपा सरकार को हटाने की उनकी सलाह को खारिज कर दिया। और वे अभी तक कर्नाटक के राज्यपाल बने हुए हैं!

डॉ. विनायक सेन का योजना आयोग के एक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया जाना वह भी तब जब वे एक भाजपा शासित राज्य में प्रतिबंधित संगठन को समर्थन देने के गंभीर आरोप से घिरे हों, विश्वासघाती हमले का एक उदाहरण है। इस नियुक्ति के साथ ही संप्रग ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह राज्य सरकारों को उनके माओवादियों के विरूद्ध संघर्ष में सहयोग नहीं करेगी वह भी तब जबकि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया है ये राष्ट्र के सामने सबसे बड़े खतरे हैं।

फरवरी 2011 में गुजरात सरकार से 'वाइब्रेंट गुजरात सम्मिट' के दौरान विभिन्न कार्पोरेट समूहों तथा राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र का ब्यौरा मांगते हुए आयकर नोटिस भेजे गये। गुजरात ने निवेश करने की

इच्छा जताने वालों पर आयकर अधिकारियों को 'छोड़' दिया गया। यह विषय संसद में उठाया गया जहां रिकॉर्ड किया गया, ''यहां पर समकालीन एवं संपोषक साक्ष्य यह दर्शाने के लिए उपलब्ध हैं कि केन्द्र में सत्तासीन राजनीतिक दल तथा राज्यों में इससे संबद्ध दल यह चाहते हैं कि ऐसे नोटिस राज्य सरकार को भेजे जाएं''।

राज्यों के अधिकार हथियाये गये

राज्यों के अधिकार हथियाने के लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। सबसे हाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के द्वारा यह प्रयास हुआ है जिसने एक विकृत कानून– द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एण्ड टारगेटेड वायलेंस (एक्सेस टू जस्टिस एण्ड रिपेरेशन) विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। यह शरारतपूर्ण है तथा यह इस मान्यता के साथ लिखा गया है कि बहुसंख्यक समुदाय हमेशा ही साम्प्रदायिक हिंसा में लिप्त रहता हैं। यहां 'प्रतिगामी भेदभाव' (Reverse Discrimination) का सबसे घटिया नमूना देखा जा सकता है।

खुलेतौर पर शत्रुतापूर्ण भेदभाव जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है वह भी विशेषकर ऐसे राज्य में, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हो, के उदाहरण के तौर पर संप्रग द्वारा पिछले कई वर्षों से गुजरात द्वारा पारित 'संगठित अपराध नियत्रंण विधेयक' को हरी झंडी नहीं दिये जाने के रूप में देखा जा सकता है। गुजरात सरकार ने दो बार इसे पारित किया जबकि ठीक इसी प्रकार का कानून कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में लागू भी है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ भी इस तरह के कानून को हरी झंडी मिलने की बाट जोह रहे हैं। राजस्थान जहां पहले भाजपा का शासन था, ने भी दो बार अपनी विधानसभा से ऐसे कानून पारित किए परन्तु केन्द्र की सहमति नहीं मिली। जब कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई– इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया तथा राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसे ठण्डे बस्ते में डाल रखा है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी' (NIA) का गठन हमारी संघीय भावना के विपरीत है। कानून–व्यवस्था के क्षेत्र में बिना किसी संवैधानिक संशोधन के इसके द्वारा राज्यों के कानून बनाने के अधिकार हथिया लिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, ''नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी का गठन कर केन्द्र सरकार साफतौर पर आतंकवाद से लड़ने का दायित्व राज्यों से किनारा कर, अपने ऊपर लेना चाहती है।'' आज, अपने दो वर्षों के

कार्यकाल में NIA आतंक का नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं कर पाई है। सीबीआई की तरह अब एनआईए का भी दुरूपयोग हो रहा है। और साथ ही अपने गन्दे हथकण्डों में बिना राज्यों की सहमति के पूर्वाग्रह से ग्रसित तथा 'आज्ञानुवर्ती' अधिकारियों का राज्यों के 'अंदर–बाहर' फेरबदल का खेल जारी है।

संप्रग सांविधिक तथा संवैधानिक निकायों की शक्तियों का दोहन कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मीडिया के माध्यम से खुलेआम राजनीतिक बयान दे रहे हैं जबकि राज्य सरकारें उनकी पूछताछ का उत्तर नियमपूर्वक दे रहे हैं।

हमारे संघीय ढांचे पर मंडराते इस खतरे से लड़ना अति आवश्यक हो गया है। संघीय धर्म में किसी भी तरह के अतिक्रमण पर हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। राज्यों को इससे लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्षेत्रों से विरोध के कड़े स्वरों से डरे हुए एवं असुरक्षा की भावना से ग्रस्त कांग्रेस के हाथों क्षेत्रीय आकांक्षाओं के एकीकरण को कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। इसका एक उदाहरण, श्रीकृष्ण आयोग जिसका गठन तेलंगाना मुद्दे को सुलझाने के लिए किया गया था, कि रिपोर्ट में देखा जा सकता है। इसने अपने रिपोर्ट के नौ अध्यायों में से एक अध्याय केवल पुलिस को 'समर्पित' किया है। इस रिपोर्ट का आठवां अध्याय सीलबंद लिफाफे में गृहमंत्रालय को दिया गया है। इसके कुछ भाग केवल न्यायालय के माध्यम से प्रकाश में आये हैं। यह कांग्रेस पार्टी को बताता है कि किस तरह से एक क्षेत्रीय दल, जो कभी इसका सहयोगी था, पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जहां भाजपा मजबूत है उन क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए यह रिपोर्ट उन विकल्पों को नहीं अपनाने की सलाह देती है जिससे भाजपा का आधार बढ़े। रिपोर्ट के इस विवादास्पद अध्याय में मीडिया को नियंत्रित करने वाले तौर–तरीकों की चर्चा भी की गई है। यह कांग्रेस पार्टी के 'गंदे हथकण्डे विभाग' की सेवा करने वाली 'सलाहकार समिति' साबित हुई है जो संप्रग को विश्वासघाती हमलों के लिए 'अस्लाह' मुहैय्या कराती है।

दुर्दांत भेदभाव

गैर–कांग्रेसी राज्यों को वित्तीय और अन्य प्रकार के भेदभाव भी सहने पड़ते हैं जिनसे सुशासन पर प्रभाव पड़ता है।

छत्तीसगढ़ एक मॉडल राज्य है जो बीपीएल परिवारों को चावल और गेहूं प्रदान करता है। संप्रग आम आदमी के लिए आंसू बहाती है, परन्तु राज्य को खाद्यान्न का कोटा कम कर दिया है। कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार ने अचानक और अत्यंत अप्रत्याशित ढंग से गुजरात के मिट्टी के तेल के कोटे में 32 प्रतिशत की कटौती कर दी। इसका मतलब गुजरात को प्रति महीने 3 करोड़ लीटर तेल से हाथ धोना पड़ेगा।

धनराशि आवंटित करने में विलम्ब होने से बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ठप्प होने के कगार पर पहुंच गई है। कर्नाटक का कहना है कि उसे पीएमजीएसवाई से शायद ही धनराशि मिल पाती है। उत्तराखण्ड ने भी अपनी चिंता जताई है कि 2003–2013 के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मंजूर विशेष औद्योगिक पैकेज को एकतरफा ढंग से काट कर 2007 तक सीमित कर दिया गया है। भाजपा के विरोध करने पर इसे मार्च 2010 के स्तर तक का विस्तार दिया गया। एक पर्वतीय राज्य में जहां उसके उद्योगों को और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, वहां इस प्रकार का भेदभाव नितांत अनुचित है।

बिहार में केवल 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नए उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए दो दर्जन आवेदनों को मंजूरी नहीं मिल रही है क्योंकि कोयला ब्लाक लिंकेज की व्यवस्था नहीं की गई है। कर्नाटक में भी उसकी बिजली परियोजना को कोयला लिंकेज के आवंटन में देरी होने से कष्ट सहना पड़ रहा है। अनेक बार अनुरोध करने पर भी कर्नाटक को गैस–लिंकेज की सुविधा नहीं मिल रही है।

बिहार को बड़े–बड़े कार्पोरेट घरानों से मिले कोई दर्जन भर प्रस्ताव भी मंजूरी की इंतजार में हैं; ये घराने राज्य में इथनॉल उत्पादन यूनिटों को स्थापित कराना चाहते हैं। एक ऐसा राज्य जो अपने उद्योगों को बढ़ाने में अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहता है, जिससे रोजगार भी सृजित होगा, उसे 4 साल से भी अधिक समय से इंतजार करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने बिना इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किए एक आदेश से बिहार को इससे वंचित कर रखा है वह भी बिना पर्याप्त कारण के।

मध्य प्रदेश में उसकी थर्मल यूनिटों को कोयले का पर्याप्त आवंटन नहीं करने के कारण यह 785.3 मिलियन यूनिटों के उत्पादन घाटे में आ चुका है। बिजली उत्पादन की अर्थव्यवस्था भी मध्यप्रदेश के अपने कोयला ब्लाकों को उसे आवंटन न किए जाने से कठिनाई में पड़ी हुई है। मध्यप्रदेश से उम्मीद की जा रही है कि वह दूर–दराज के राज्यों से कोयला उठाए जिससे उत्पादन की लागत कहीं ज्यादा हो जाती है। केन्द्रीय मंत्री ने मानेसर पावर प्रोजेक्ट

के काम को बंद करने की मनमानी भरे आदेश दे दिए जिससे बिजली का उत्पादन रूक गया।

इसके विपरीत, गुजरात अब बिजली के सरप्लस उत्पादन की स्थिति तक जा पहुंचा है, परन्तु वह उन राज्यों को भी, जिन्हें बिजली की सख्त जरूरत है, बेच नहीं सकता क्योंकि ग्रिड–कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है।

जब आयात और निर्यात सम्बन्धी निर्णयों की बात आती है तो राज्यों से सलाह–मशविरा नहीं किया जाता है। कर्नाटक का आरोप है कि केन्द्र सरकार के इस एकतरफा निर्णय से, जिसमें रेशम धागे पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, कर्नाटक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह आहत हुई है। गुजरात में कपास का अधिकतम उत्पादन होता है, परन्तु कपास निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

देखा गया है कि राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति पर भी समान स्तर पर अवसर नहीं दिए जाते हैं।

2008 में पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 15 राज्यों के एक पैनल ने 13वें वित्त आयोग से कहा था कि केन्द्रीय कर के विभाज्य 'पूल' में राज्यों का शेयर वर्तमान 30.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में किए गए हिसाब–किताब से पता चलता है कि 2011 में राज्यों को कुल राजस्व का 24 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है जबकि उनके विकास का खर्च 5,12,000 करोड़ रूपए बैठता है और इसकी तुलना में केन्द्र के विकास का खर्च मात्र 3,03,000 करोड़ रूपए ही आता है।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत व्यय के योजनागत वार्षिक अनुमान के लिए वित्तीय स्वायत्तता का राज्य अधिकार बुरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि ''कंपेनसेटरी एफोरेसटेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी'' (केम्पा) जो केन्द्र अपने पास रखता है तो जिसका पूरा पैसा राज्यों का ही होता है।

इसके अलावा, राज्यों को और अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है जब हम देखते हैं कि उनकी विधानसभा द्वारा पारित ऐसे कानूनों जिनका संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण वित्त और अन्य बिलों से होता है, उन्हें भी राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। हाल में, एनडीए शासित बिहार में 14 से अधिक ऐसे बिल है, जिनमें से कुछ वित्त बिल भी हैं, जिनकी स्वीकृति का इंतजार है। अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी ऐसे ही अनुभव सहने पड़ रहे हैं। उत्तराखण्ड की विधानसभा द्वारा पारित पं. दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी बिल अभी तक राजभवन में अटका पड़ा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से घमण्ड से भरा कांग्रेस नेतृत्व लोकपाल बिल के मामले में कार्य कर रही है।

गुजरात लोकायुक्त की नियुक्ति की गाथा तो राजनीतिक और विश्वासघाती प्रहार का जीता–जागता उदाहरण है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को 'इधर–उधर' करते 4 वर्षों से अधिक हो गए। राज्य के विपक्षी नेता जो कांग्रेस पार्टी से हैं इस चयन समिति के सदस्य हैं। वह लोकायुक्त चयन समिति की अनेकों बैठकों में उपस्थित ही नहीं रहे हैं। अभी जब लखनऊ में यह सत्र चल रहा है, गुजरात के राज्यपाल ने गुजरात के विधेयक को यह कह कर वापस कर दिया है कि यह विधेयक पंचायतों जैसी निर्वाचित निकायों के सदस्यों को इस दायरे में शामिल कर ध्यान को दूसरी दिशा में ले जा रहा है। आज जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी अपनी दोहरी कथनी से पाखण्डी खेल खेल रही है।

भाजपा संकल्प लेती है कि-

- सरकारिया आयोग की केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर की गई सिफारिशों को तुरन्त पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए।
- ऐसे हमलों और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए एक फोरम की स्थापना हो। हम सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इन मुद्दों को उठाएंगे और आपसी सहयोग करेंगे। हम किसी भी गैर–कांग्रेसी राज्य पर हमला या भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे।
- अंतर्राज्यीय परिषद को और अधिक सशक्त बनाना; यह अनुच्छेद 263 के अनुसार एक संविधानिक निकाय है।
- सीबीआई, सीएजी और सीवीसी के प्रमुखों की नियुक्ति को सरकार के शिकंजे से मुक्त कराना। चयन अधिशासी मंडल बिना किसी संशय के चयनित उम्मीदवार के प्रति स्वयं में पूरी तरह आश्वस्त होने चाहिए।
- सरकारिया और जस्टिस वेंकटाचलैया आयोग के संदर्भ में राज्यपालों की नियुक्ति, भूमिका और कार्यों पर पुनर्विचार पर राष्ट्रव्यापी चर्चा का आह्वान।
- हमारे राज्यों तथा संघीय शासन प्रणाली को कमजोर करने के गम्भीर खतरे के प्रति जन–जागरूकता पैदा करेंगे। ■

आइए, राम के प्रदेश में रामराज्य लाए

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के अंतिम दिन 4 जून को 'उत्तर प्रदेश राज्य पर केन्द्रित प्रस्ताव' सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में इस प्रस्ताव को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र ने रखा तथा इसका समर्थन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनय कटियार ने किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश की जनता के सामने एक ही विकल्प है भाजपा का सुशासन और विकास बनाम बसपा, सपा और कांग्रेस का अवसरवाद। इसके साथ ही पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ वादा किया है कि सत्ता में आने पर वे बसपा शासन के अपराधों के ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेगी। हम यहां प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैंः–

Hkkरत जैसे विशाल और महान देश की राजनीति का एजेण्डा तय करने वाले उत्तर प्रदेश का योगदान – सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में अतुलनीय रहा है। प्राकृतिक संपदा, विशालतम क्षेत्र, कल–कल करती नदियां और इन सबसे ज्यादा अमूल्य यहां के लोगों ने अपने पुरुषार्थ से सफलता की अनेक नई–नई कहानियां लिखी हैं।

विडम्बना है कि ऐसा प्रदेश आज कुशासन, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुण्डाराज, माफियाराज, जातिवाद का पर्याय बना दिया गया है। प्रदेश में, वर्तमान बहुजन समाज पार्टी और पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को इस कगार पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने भी इन दलों को कभी खुलकर तो कभी पीछे से अपना समर्थन देकर प्रदेश की बर्बादी में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश की इस खस्ता हालत के लिए यह 'तिकड़ी' पूरी तरह से जिम्मेदार है।

चार वर्ष पूर्व 'सर्वजनहिताय' के नाम पर चुन कर आई बसपा सरकार के कुशासन के चलते समाज का प्रत्येक वर्ग त्राहि–त्राहि कर रहा है और अपनी व्यथा को मुखरित करने सड़कों पर उतर रहा है। सड़कों पर उतरने वालों को मायावती सरकार की पुलिस और प्रशासन लाठियों से पीटती है। आम आदमी अपनी व्यथा किससे कहे और कैसे कहे? लगता है पुलिस और प्रशासन अपनी निष्पक्षता पूरी तरह खो चुका है। तथा सत्ता के दबाव में सामान्य जनता का खुलकर उत्पीड़न कर रहा है। जब बाड़ ही खेत को खाने लगेगी तो खेत की रक्षा कैसे होगी? प्रदेश में लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। अपराधियों के शासन से आम जनता के साथ–साथ प्रशासन तंत्र भी शिकार बन रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की सही तस्वीर का आंकलन करने के लिए कुछ घटनाएं ही काफी हैं। कमीशन न देने पर एक विधायक अभियंता की हत्या कर देता है। स्वास्थ्य विभाग के दो सीएमओ की हत्या होती है पर हत्यारों का आजतक पता ही नहीं चल पाया है! जनमत के दबाव में जब इस हत्या की जांच सूबे की सरकार के दो कद्दावर मंत्रियों तक पहुंचती है तो उनसे मात्र इस्तीफा ले लिया जाता है। एक प्रमुख सचिव की रहस्यमय मृत्यु आज भी कानून की पकड़ से परे है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के वसूली अभियानों से तंग आकर लेखपाल से लेकर अभियंता तक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं; और तो और इस अराजकता से ऊबे हुए प्रदेश की नौकरशाही का शीर्ष मुखिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता

है पर सरकार में कोई जुम्बिश नहीं होती! प्रदेश की जनता के भीतर तूफान है पर बाहर सब शान्त है क्योंकि माया का आतंक है – अपराधियों का शासन है। बच्चे, बूढ़े और महिलायें सर्वाधिक पीड़ित हो रहे हैं।

नोएडा/ग्रेटर नोयडा की बेशकीमती भूमि को किसानों से सस्ते मूल्य पर अधिग्रहित कर चन्द घरानों को ओने–पौने दामों पर दे दी।

नोयडा हो या टप्पल, करछना हो या कटेशर (चंदौली) प्रदेश के किसी भाग में भूमि अधिग्रहण करना और विरोध करने पर लाठी गोली चलवाना मायावती का शौक है।

किसान भूमि से वंचित हुए उनकी जीविका भी गई और उनके बच्चे भी बेरोजगार हैं।

भाजपा के नेता या कार्यकर्ता विरोध करते हैं तो गिरफ्तार कर गांव तक जाने नहीं दिया जाता परन्तु नूरा कुश्ती के सहयोगी कांग्रेस के महासचिव जाते हैं तो धारा 144 हटा ली जाती है।

इस राज्य में सभी संवैधानिक निर्वाचित संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है।

किसान विरोधी इस सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य हेतु क्रय केन्द्र खोलने का ढोंग किया गया परन्तु हकीकत यह है कि प्रदेश सरकार के गेहूं क्रय की सारी मात्रा बिचौलियों के द्वारा हुई। इसमें भी किसान को छला गया। बोआई के समय न खाद मिला न बीज सिंचाई सुविधाओं के अभाव में फसल प्रभावित हुई पर सरकार बिचौलियों की हित चिंता में मस्त रही।

बुन्देलखण्ड की दुर्दशा सर्वविदित है पिछले सात वर्षों से लगातार भयंकर सूखा है। कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हुए हैं। पेयजल और सिचाई के लिए भी पानी का संकट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्त व्यवस्था ठप्प है। राशन की दुकानों को आवंटित होने वाला खाद्यान्न बसपा नेताओं के संरक्षण में कालाबाजारी में जा रहा है। आश्चर्य तो यह है कि इतनी बड़ी आपदा होने के बावजूद प्रदेश की सरकार के द्वारा कोई राहत शिविर की व्यवस्था नहीं की गई। केन्द्र व प्रदेश सरकारें एक दूसरे पर लांछन लगाकर नूरा–कुश्ती में मस्त हैं।

मायावती सरकार के पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर दलितों, अति पिछड़ों पर अत्याचार व उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश अनसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 6 वर्ष की बच्चियों से लेकर 70 वर्ष की महिलाओं के साथ दुराचार की घटनायें आम बात हो गयी हैं।

व्यापारी माया टैक्स से तो कराह ही रहा था लेकिन अपराधियों द्वारा रंगदारी की मांग उसे और भी त्रस्त कर रही है। पूरा राज्य व्यापारी लूट और अपहरण से त्राहि–त्राहि कर रहा है।

शिक्षा चौपट है, बेरोजगार दिशाहीन नौजवान सड़क पर घूमने को विवश है।

भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून बनाया था। जिसको वर्तमान सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया है। यांत्रिक बूचड़खाने से लेकर खेत तक खुलेआम गौहत्या हो रही है। जिससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है।

अनियंत्रित पशुवध और उसके लिए खोले जाने वाले नये आठ यांत्रिक पशुवध शालाओं के विरोध में जनता सड़कों पर है। जैन मुनि श्री मैत्रप्रभु सागर महाराज को बड़ौत में आमरण अनशन तक पर बैठना पड़ा।

प्रदेश में विकास ठप्प है। यदि कहीं विकास है तो समाचारपत्रों के विज्ञापनों और सड़कों पर लगे होर्डिंग्स में है। विकास के नाम पर बसपा राजनीतिज्ञों, प्रशासननिक अधिकारियों, माफियाओं का सिंडिकेट मलाई चाट रहा है। यह विकास का कौन सा 'मॉडल' है जिसमें प्रदेश में होने वाला कुल पूंजी निवेश शून्य है। राज्य में कोई नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। जो परम्परागत उद्योग थे वे भी या तो अपनी मौत मर रहे हैं या दूसरे राज्यों में जाने को बाध्य हो रहे हैं। प्रदेश में भयंकर बिजली संकट है, उत्पादन और वितरण के आंकड़े कागजी हैं। नैनी, कानपुर, मुजफरनगर, मेरठ के इंजीनियरिंग उद्योग दूसरे प्रदेशों की ओर रुख कर

प्रदेश में विकास ठप्प है। यदि कहीं विकास है तो समाचारपत्रों के विज्ञापनों और सड़कों पर लगे होर्डिंग्स में है। विकास के नाम पर बसपा राजनीतिज्ञों, प्रशासननिक अधिकारियों, माफियाओं का सिंडिकेट मलाई चाट रहा है। यह विकास का कौन सा 'मॉडल' है जिसमें प्रदेश में होने वाला कुल पूंजी निवेश शून्य है। राज्य में कोई नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। जो परम्परागत उद्योग थे वे भी या तो अपनी मौत मर रहे हैं या दूसरे राज्यों में जाने को बाध्य हो रहे हैं। प्रदेश में भयंकर बिजली संकट है, उत्पादन और वितरण के आंकड़े कागजी हैं।

रहे हैं। आगरा और कानपुर जो चमड़ा उद्योग में आज से पांच साल पहले तक सर्वोपरि था आज चेन्नई के वैल्यूएडिशन चर्म उद्योग के आगे कुछ भी नहीं है। प्रदेश के हथकरघा उद्योग बंदी के कगार पर हैं। नतीजा यह हो रहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के चार करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों के हाथ खाली हैं, पेट खाली हैं। पेट यदि किसी का भर रहा है तो वे हैं कुछ मुट्ठीभर भ्रष्ट राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस तंत्र तथा माफिया। मुख्यमंत्री ने पिछले चार वर्षों में इन उद्योगों के कल्याण के लिए क्या किया? लेकिन भाजपा की सरकार अगर सूबे में बनी तो वह आधार भूत सुविधायें (बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर') को सबसे पहले सुनिश्चित करेगी। कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ऐसे प्रमुख उद्योग केन्द्रों जैसे मुरादाबाद, बरेली, खुर्जा, फिरोजाबाद, आगरा, वाराणसी, मऊ सहित अन्य जिलों को बिना भूमि अधिग्रहण किये हुये 'स्पेशल इकनॉमिक जोन' की सुविधाएं दी जाएंगी।

नई दिल्ली में कांग्रेस सरकार देश को लूटने में लगी है तो उत्तर प्रदेश में उनकी 'सहयोगी' मायावती सरकार भी लूटने में पीछे नहीं है। लगता है लूट का रिकार्ड बनाने का मैराथन चल रहा है। सत्तारूढ़ दल राजकोष लूट रहा है। औने–पौने दाम पर 11 चीनी मिलों की बिक्री में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। लगभग 1500 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की इन 11 चीनी मिलों को सरकार ने लगभग 470.75 करोड़ रुपये में बेच दिया। किसानों की कीमती जमीन छीनकर औद्योगिक घरानों को देने में अरबों की डील हुई है। यह तो एक बानगीभर है। इस लूट के चलते देश और प्रदेश की जगहंसाई हो रही है। बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाभ लो–लाभ दो की नीति के अन्तर्गत भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है।

एक ओर गुजरात हो या छत्तीसगढ़, म.प्र. हो या कर्नाटक, बिहार हो या हिमाचल या भाजपा शासित अन्य राज्य विकास एवं सुशासन के नये कीर्तिमान स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं तब उत्तर प्रदेश और प्रत्येक छठवें भारतीय वाले प्रदेशवासियों को कुशासन, अव्यवस्था, अराजकता के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

हमारा मानना है कि प्रदेश में तेजी से विकास करने के सारे संसाधन उपलब्ध हैं मगर नहीं है तो एक ईमानदार सरकार और लोगों के हित में काम करने वाला प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते अब इस स्थिति को एक क्षण भी सहन करने को तैयार नहीं है। भाजपा की प्रदेश में रही सरकारों ने उत्तर प्रदेश और यहां के निवासियों की तकदीर और नियति बदलने की सफल कोशिश भी की थी। पार्टी ने पिछले दिनों में बसपा सरकार और उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी तथा समाजवादी पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर पोल खोली है। हमारे कार्यकर्ता पुलिस लाठियों को सहते हुए प्रदेश की जनता की व्यथा को मुखरित करने में जुटे हैं। हमारा यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश को जंगलराज और गुण्डाराज से मुक्ति नहीं मिल जाती।

प्रदेश की जनता के सामने एक ही विकल्प है भाजपा का सुशासन और विकास बनाम बसपा, सपा और कांग्रेस का 'अवसरवाद'। हमारा लक्ष्य है 'प्रदेश में गुण्डाराज और जंगलराज के स्थान पर रामराज्य को लाना।'

नियति उत्तर प्रदेश को फिर से अपना खोया स्थान और गौरव वापस देना चाहती है। प्रदेश फिर से देश का एजेण्डा तय करे और देश का नेतृत्व करे– ऐसा चाहती है। आइए, नियति के इस आमंत्रण को स्वीकार करें।

भारतीय जनता पार्टी इस आमंत्रण में सभी 20 करोड़ उत्तर प्रदेशवासियों के साथ शामिल होना चाहती है। हमारे लोकप्रिय नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयीजी के शासन और उनके व्यक्तित्व ने प्रदेश की तस्वीर संवारी थी। हम फिर से प्रदेश का तस्वीर और तकदीर संवारना चाहते हैं। प्रदेश का अस्मिता पर लगे भ्रष्टाचार, कुशासन और अराजकता के दागों को मिटाना चाहते हैं। एक नए और तेजी से विकसित होते उत्तर प्रदेश का सपना हमारी आंखों में हैं। एक समन्वित और सबके विकास तथा सम्मान का ब्लूप्रिंट हमारे पास है।

इस प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए पार्टी विज़न दस्तावेज तैयार कर रही है। यह विज़न 20 करोड़ प्रदेशवासियों की तरक्की का दस्तावेज होगा।

प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने पर हम सभी के सम्मान और जीवन की सुरक्षा का वचन देते हैं। साथ ही किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे। किसानों को तीन प्रतिशत और एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण। जमीन का अधिग्रहण–बिक्री के मानकों के आधार पर मूल्यांकित होगा। गंगा, जमुना, घाघरा, गंडक, सई, गोमती, हिंडन, केन , बेतवा, राप्ती और नारायणी आदि नदियों के अंतरजाल को सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जायेगा। किसानों को कृषि संबन्धी योजनाओं में राज्य से अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

शेष पृष्ठ 30 पर...

सत्याग्रह पर हमला लोकतंत्र पर काला धब्बा

&l oknnkrk }kjk

dkग्रेसनीत यूपीए सरकार ने एक बार फिर देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव के नेतृत्व में चलाए जा रहे सत्याग्रह का केन्द्र सरकार ने बर्बरतापूर्ण दमन किया, जिसकी विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कृत्य की कड़ी भर्त्सना की है। 4 जून को रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे बाबा रामदेव और हजारों लोगों पर सरकार ने जिस प्रकार से पुलिस बल का प्रयोग किया वह आपातकाल के दिनों की याद दिलाती है। पुलिस ने लोगों पर बेरहमी से आंसू गैस के गोले दागे और बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई। निर्दोष लोगों के हाथ–पैर तोड़ दिए। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। सौ से अधिक लोग घायल हो गए। बाबा रामदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

बाबा रामदेव अपने हजारों समर्थकों के साथ निम्नलिखित मांगों को लेकर अनशन पर बैठे–सरकार विदेशों में जमा कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने, पेशेवर पाठ्यक्रमों की परीक्षा अंग्रेजी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में कराने, भ्रष्टाचार के मुकदमों को तेज गति से निपटाने के लिये विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने और संसद में जल्द से जल्द लोकसेवा वितरण विधेयक लाना। इस आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्रियों कपिल सिब्बल तथा सुबोध कांत सहाय के साथ बाबा रामदेव की बातचीत हुई। इसके बाद देर रात कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी हुए वक्तव्य और बाबा रामदेव के बयानों से कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के संकेत मिले। लेकिन सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी।

दिल्ली से हिरासत में लिये जाने के बाद रामदेव को हेलीकॉप्टर के जरिये देहरादून भेज दिया गया, जहां से वह हरिद्वार पहुंचे। यहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में रामदेव ने 4 जून की मध्यरात्रि के बाद हुए घटनाक्रमों का सिलसिलेवार ब्यौरा बताया और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाये। बाबा रामदेव ने दावा किया कि सरकार की रामलीला मैदान पर लाशें बिछा देने की तैयारी थी और यदि हमारे कार्यकर्ता धैर्य से काम नहीं लेते तो वहां हजारों लोग मारे जाते। उन्होंने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग की घटना से करते हुए दावा किया, ''रामलीला मैदान पर मुझे गिरतार करने के बाद मेरा एनकाउंटर करने या मुझे गायब कर देने की तैयारी थी। वहां मेरी हत्या करने की साजिश थी। रामदेव ने कहा, ''यदि मेरे जीवन के सामने कोई खतरा उत्पन्न होता है तो इसकी

जिम्मेदारी सोनिया गांधी और कांग्रेस की होगी।'' उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। योगगुरु ने कहा कि सरकार कालेधन पर अध्यादेश तो नहीं लायी, लेकिन उसने आपातकाल जैसा अत्याचार किया। उन्होंने कहा, ''कालीरात को जब मैं याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आत्मा कांप उठती है। रामलीला मैदान पर मध्यरात्रि को जो हुआ वह बर्बरता की सारी हदें पार गया। मैंने वहां कार्रवाई करने आये पुलिसकर्मियों से निर्दोष महिलाओं और बच्चों पर लाठियां नहीं बरसाने का बार–बार अनुरोध किया, लेकिन रामलीला मैदान पर पुलिस का दमन चक्र चलता रहा। बाबा रामदेव ने सीधे मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा, ''सिब्बल कुटिल और शातिर दिमाग के व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे साथ कुटिलता से चालें चलीं।'' उन्होंने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बारे में भी कहा, ''जो लोग गैर–जिम्मेदार हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनके बारे

में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।''

बीते कुछ दिनों से रामदेव के साथ बातचीत कर रहे मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थिति बिगड़ने की आशंका थी। वह मंच योग कराने के लिये नहीं था, बल्कि वह राजनीतिक मंच बन गया था। दिल्ली में कानून व्यवस्था कायम रखना जरूरी थी। हम इसमें कोई अवरोध नहीं चाहते थे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई पर पार्टी और सरकार एकमत है।

रामलीला मैदान में मध्यरात्रि में पुलिस कार्रवाई, बाबा रामदेव की गिरतारी और लोगों पर लाठीचार्ज की तुलना जलियांवाला बाग कांड और आपातकाल से करते हुए भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से संसद का आपाकालीन सत्र बुलाने का आग्रह किया। श्री आडवाणी ने संवाददताओं से कहा, ''रामलीला मैदान में पुलिस की कार्रवाई से आपातकाल की याद ताजा हो गई है जब कांग्रेस की सरकार ने बर्बरतापूर्वक लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया था।'' पुलिस कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग कांड से करते हुए उन्होंने कहा, ''भ्रष्टाचार और कालाधन का मुद्दा उठाने वाले रामदेव और उनके समर्थकों के खिलाफ ऐसी बर्बर कार्रवाई निंदनीय है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस घटना के लिए न केवल बाबा रामदेव बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।''

बाबा रामदेव ने 6 जून को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर राष्ट्रधर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया। योगगुरु ने कहा कि उनके मौजूदा सत्याग्रह के नतीजों का केंद्र सामना नहीं कर पायेगा। बाबा रामदेव ने संवाददाताओं से बातचीत में रामलीला मैदान पर उनके तथा उनके समर्थकों पर हुई पुलिस की कड़ी कार्रवाई के संदर्भ में कहा, ''मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं लेकिन उनके नेता होने के रूप में मैं अब उनका सम्मान नहीं कर पाउंगा। उन्होंने वह नहीं किया जिसकी उनसे अपेक्षा थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रधर्म नहीं निभाया। रामलीला मैदान पर कार्रवाई कर प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में इतना बड़ा जनाक्रोश खड़ा कर दिया, जो तीन दिन के अनशन के बाद उत्पन्न होता।''

रामलीला मैदान से योगगुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को जबर्दस्ती बाहर कर देने की कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस घटना के बारे में केंद्र से जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अवकाश पीठ ने आज केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायालय ने उनसे पूछा है कि ऐसी क्या परिस्थितियां थीं, जिनमें लोगों को आधी रात को बल प्रयोग से हटाना पड़ा। मामले की अगली सुनवाई न्यायालय जुलाई के दूसरे सप्ताह में करेगा।

इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी केन्द्र एवं दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर रामलील मैदान में बाबा रामदेव के समर्थकों के खिलाफ किये गये दमन के बारे में दो हते के भीतर रिपोर्ट मांगी। आयोग के अनुसार उसने केन्द्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किये हैं। ■

भाजपा ने लिया तानाशाही प्रवृत्तियों को परास्त करने का संकल्प

भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ राजघाट पर आयोजित भाजपा के 24 घंटे के धरना – आंदोलन की समाप्ति पर 6 जून 2011 को भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों को संकल्प दिलाया। इस संकल्प में भ्रष्टाचार, काला धन तथा दमन तंत्र के विरोध मे संघर्ष करते रहने का निश्चय किया गया है। संकल्प का प्रारूप निम्न है।

संकल्प

- हम, भ्रष्टाचार और काले धन के विरोध में चल रहे देशव्यापी आंदोलन के सिपाही संकल्प लेते हैं कि किसी को भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे।
- हम, निहत्थे और शांतिप्रिय देशभक्त नागरिकों का दमन करने वाली शक्तियों से पुरजोर संघर्ष करेंगे।
- हम, विदेशों मे रखे काले धन को वापिस लाएंगे और राष्ट्र के विकास पर लगाएंगे।
- हम, गरीबों और समाज के वंचित तबकों के साथ निरन्तर अन्याय करने वाली कांग्रेस सरकार के विरूद्ध जनता को संगठित करेंगे।
- हम, संकल्प लेते है कि इस दमनकारी शासनतंत्र से जनता को मुक्त किए बिना हम चैन की सांस नहीं लेंगे।
- हम, प्रण लेते है कि हम भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे, तानाशाही प्रवृतियों को परास्त करेंगे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करेंगे।

भारत माता की जय! ■

केन्द्र सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ भाजपा का सत्याग्रह

dk ले धन, भ्रष्टाचार और यूपीए सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी ने नई दिल्ली स्थित राजघाट पर 5 जून की शाम सात बजे से 6 जून की शाम सात बजे तक 24 घंटे का सत्याग्रह आंदोलन किया। धरने पर बैठने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लाल.ष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री जगत प्रकाश नड्डा आदि नेताओं का साथ देने के लिए हज़ारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सत्याग्रह के दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने राजघाट पर उमड़े हुजूम को भी हाथ उठाकर प्रण कराया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देंगे। इसके बाद भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली आदि गांधी जी की समाधि पर गए और उन्हें नमन किया। सत्याग्रह में हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर देशभक्ति के गीत गाए तथा कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा पुलिसिया जुल्म तथा कांग्रेसी भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने रामदेव मामले का स्वतः संज्ञान लेने पर सर्वोच्च न्यायालय का भी आभार प्रकट किया। ■

पृष्ठ 27 का शेष...

राम के जन्म स्थान पर भव्य मन्दिर का निर्माण हो इसके लिए हर स्तर पर भाजपा प्रयत्न करेगी।

आज उत्तर प्रदेश समस्याओं का 'प्रश्न प्रदेश' बन गया है। प्रश्न है प्रदेश के लगभग 20 करोड़ लोगों की नियति को संवारने का। प्रश्न है प्रदेश के त्वरित विकास का। प्रश्न है आम आदमी को भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देने का। प्रश्न है प्रदेश को देश के सर्वाधिक तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का। प्रश्न है प्रदेश के खोए हुए गौरव को फिर से वापस लाने का। प्रश्न अनेक हैं। मगर उत्तर कहां है? प्रदेश की वर्तमान सरकार और नेतृत्व इन प्रश्नों के सामने बौना सिद्ध हो रहा है। एक तो उसमें इच्छाशक्ति का अभाव है तो दूसरी ओर उसका खुद का दामन दागदार है। आय से ज्यादा सम्पत्ति के मामलों में अपना बचाव करने वाला नेतृत्व कैसे सिर उठाकर निर्भीकता से नेतृत्व दे सकता है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में इस 'तिकड़ी' के चलते राजनीतिक, प्रशासनिक अराजकता का माहौल है।

भाजपा प्रदेश में बसपा शासन के अपराधों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेगी।

प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि वे अपने प्रदेश को अराजकता, अंधकार, कुशासन, भ्रष्टाचार से मुक्त कर एक नए प्रदेश–एक विकसित प्रदेश, एक आगे बढ़ते प्रदेश को बनाने में भाजपा का साथ दें। आप हमें एक बार फिर से सेवा का मौका दें, हम आपको आपके सपनों का प्रदेश देंगे–यह हमारा वायदा ही नहीं संकल्प है। आइए, राम के प्रदेश में राम राज्य लाएं। ■